



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4910]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018/अग्रहायण 21, 1940

No. 4910]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2018/AGRAHAYANA 21, 1940

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6140(अ).— एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सिविल रिट याचिका संख्या 4677/1985 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 दिसंबर, 1996 को जारी आदेश के निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 38 (असाधारण) तारीख 14 जनवरी, 1997 द्वारा भूमिगत जल प्रबंधन और विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से तथा इससे संबन्धित कतिपय शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्यों के निष्पादन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (वर्ष 1986 का 29) की धारा 5 के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) का गठन किया है;

प्राधिकरण, ऐसे बीस राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल विकास को संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनियमित नहीं किया जा रहा है, वहाँ इस संबंध में उद्योगों या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं या खनन परियोजनाओं आदि को भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर और समय-समय पर मार्ग दर्शक सिद्धांत तैयार कर भूमिगत जल विकास और प्रबंधन का विनियमन कर रहा है;

कुछ राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिगत जल विकास और प्रबंधन के विनियमन के लिए विधान का अधिनियमन किया गया है तथा विनियामक निर्देश या आदेश जारी किए गए हैं;

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014 के ओए संख्यांक 204/205/206 में तारीख 15.04.2015 के आदेश द्वारा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि ड्यूब-वेल संचालन या किसी भी माध्यम से भूमिगत जल का निष्कर्षण करने वाला व्यक्ति प्राधिकरण की अनुमति लेगा और प्रवृत्त विधि के अधीन रहते हुए संचालन करेगा, भले ही ऐसी इकाई मौजूदा इकाई है या इकाई अभी तक स्थापित नहीं हुई है;

वर्ष 2014 के ओए संख्यांक 34 और 37 में माननीय अधिकरण ने आदेश तारीख 9 जुलाई, 2015 के द्वारा सभी औद्योगिक इकाइयों को जो सार्वजनिक अपशिष्ट उपचारी संयंत्र (सीईटीपी) के सदस्य हैं, को अपने बोर वेल के पंजीकरण के लिए और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विधि के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से प्राधिकरण से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं;

उपरोक्त माननीय अधिकरण ने वर्ष 2014 के ओए संख्यांक 200 में तारीख 13 जुलाई, 2017 द्वारा निर्देश दिया है कि सभी उद्योगों को ऐसे जल के निष्कर्षण के लिए अनुमति आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए भी जल के निष्कर्षण हेतु भुगतान करने के निर्देश दिए जाएं;

उक्त माननीय अधिकरण द्वारा वर्ष 2015 के ओए संख्यांक 176 एवं वर्ष 2012 के ओए संख्यांक 59 क्रमशः तारीख 28 अगस्त, 2018 और 29 अगस्त, 2018 के आदेश के अनुसार भूमिगत जल संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को मौजूदा तंत्र की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए;

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसरण में और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमिगत जल संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा तारीख 11 अक्टूबर 2017 को मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रारूप, टिप्पणियों एवं सुझावों के लिए सभी हितधारकों को परिचालित किया गया;

उक्त प्रारूप दिशा-निर्देशों की प्रतिक्रिया में प्राप्त सभी टिप्पणियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जाएगा;

अतः अब माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसरण में तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (वर्ष 1986 का 29) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण, भूमिगत जल के अतिनिष्कर्षण का विनियमन करने और देश में भूमिगत जल संसाधनों का संरक्षण करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करता है।

अनुसूची

भारत में भूजल निकासी के विनियमन एवं नियंत्रण

हेतु दिशानिर्देश

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि
2. भारत में भूजल निकासी के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश
 - 2.1. छूट
 - 2.2. पेय एवं घरेलू उपयोग

2.2.1 व्यक्तिगत कुटुंब

2.2.2 अवसंरचना परियोजनाएं / उद्योग / खनन परियोजनाएं / सार्वजनिक जल आपूर्ति एजेंसियां / अन्य जिन्हें केवल पेय और घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता होती है

2.3 उद्योग / खनन / अवसंरचनात्मक परियोजनाएं

2.3.1 उद्योग

2.3.2 खनन परियोजनाएं

2.3.3 ऐसी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं जिन्हें निर्माण हेतु डिवाॅटरिंग अथवा भूजल के उपयोग की आवश्यकता होती है।

2.4 कृषि क्षेत्र

2.5 लवणीय भूजल / संदूषित भूजल की निकासी

2.6 जल संरक्षण शुल्क (डबल्यूसीएफ़)

2.7 भूमि / जल उपयोग में परिवर्तन

2.8 अन्य शर्तें (सभी मामलों में प्रभावी)

2.9 एनओसी का नवीकरण

2.10 एनओसी का विस्तार

3. प्रक्रिया शुल्क

4. छूट

5. एनओसी की शर्तों के अनुपालन की मानीटरिंग करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

अनुलग्नक

- I. राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सूची जहां केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास को नियंत्रित किया जा रहा है।
- II. प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की व्याख्या
- III. रक्षा / अर्धसैनिक/ सशस्त्र सेना / सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों द्वारा भूजल निकासी पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
- IV. पीजोमीटर के संस्थापन और भूजल स्तर एवं उसकी गुणवत्ता की मानीटरिंग हेतु दिशा निर्देश
- V. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल मूल क्षेत्राधिकार रिट याजिका (सी) सं. 2009 का 36 के विषय में परित्यक्त बोर वेल और ट्यूब वेल में गिरने के कारण छोटे बच्चों की होने वाले घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय
- VI. अवसंरचना परियोजनाओं की निर्देशात्मक सूची
- VII. पेय एवं घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकताओं का आकलन
- VIII. उद्योगों द्वारा एनओसी प्राप्त करने हेतु भूजल विज्ञान रिपोर्ट की रूपरेखा
- IX. उद्योगों द्वारा वार्षिक जल लेखा परीक्षण
- X. उद्योगों/ परियोजनाओं के संयंत्र परिसर, जिनमें प्रदूषण की क्षमता है, के प्रदूषण से बचाव को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय।
- XI. एनओसी के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट की रूपरेखा

भारत सरकार
केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011
भारतमें भूजल निकासी के विनियमन एवं नियंत्रण
हेतु दिशानिर्देश (दिनांक 01.06.2019 से लागू)

1. पृष्ठभूमि

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4677 में आईए संख्या 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3(3) के तहत अधिसूचना संख्या एसओ 38 (अ) दिनांक 14.01.1997 द्वारा देश में भूजल के विकास एवं प्रबंधन के विनियमन के उद्देश्य से किया गया। इस प्राधिकरण को निम्नलिखित अधिकार प्रदत्त हैं:

- (i) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिशानिर्देश जारी करने हेतु तथा उक्त अधिनियम की उपधारा 3 में संदर्भित सभी विषयों पर निर्दिष्ट उपाय करने के लिए अधिकार का प्रयोग करना।
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में उल्लिखित दंड प्रावधानों का प्रयोग करना।
- (iii) देश में भूजल के विकास एवं प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण करना तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक विनियामक निर्देश जारी करना।
- (iv) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अधिकार का प्रयोग करना।

यह प्राधिकरण प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूजल के दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान कर तथा समय-समय पर परामर्शी, निर्देश, अधिसूचना आदि जारी कर विभिन्न उपायों द्वारा भूजल के विकास का विनियमन करता है। यह प्राधिकरण वर्ष 1999 से नए उद्योगों तथा विस्तार की जा रही /अवसंरचनात्मक /खनन परियोजनाओं को भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है। इस दिशानिर्देश में अंतिम संशोधन वर्ष 2015 में कृष्ण कान्त सिंह बनाम मेसर्स देवरिया पेपर लिमिटेड, हाटा रोड, नारायणपुर, देवरिया एवं अन्य संबंधित मामलों में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 15.04.2015 के आदेश द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत मौजूदा उद्योगों/ अवसंरचना/ खनन परियोजनाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र के दायरे में लाने के उद्देश्य से किया गया था।

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल के विकास का विनियमन किए जाने वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है। शेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्वयं द्वारा अधिनियमित किए गए कानून अथवा सरकारी आदेशों के माध्यम से भूजल विकास का विनियमन कर रहे हैं।

दिशा निर्देश में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली का शब्दकोष अनुलग्नक-II पर दिया गया है। इस दस्तावेज़ में 'निकासी', 'निष्कर्षण', और 'दोहन' शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप में किया गया है।

2. भारत में भूजल निकासी के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश

ये दिशानिर्देश केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा इससे पूर्व जारी सभी दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 01.06.2019 से लागू होंगे। ये दिशानिर्देश समस्त भारत वर्ष पर लागू होंगे। अनापत्ति पत्र प्रदान करने की पूर्ण प्रक्रिया

सीजीडब्ल्यूए की वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन रूप में किया जाता है। (यूआरएल की घोषणा बाद में की जाएगी।) राज्य, स्थानीय भूजल वैज्ञानिकी परिस्थितियों एवं भूजल विकास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शर्तों को शामिल कर सकते हैं, जिनको सीजीडब्ल्यूबी द्वारा स्वीकार करने से पूर्व समीक्षा की जायेगी।

2.1 छूट

निम्नलिखित उपयोक्ता वर्ग विशेष को भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में छूट प्राप्त होगी:

- i. गैर- ऊर्जा उपायों (रस्सी-बाल्टी, हैंड पम्प, एमएचओटीई आदि) के माध्यम से भूजल निकासी करने/ निकासी का प्रस्ताव करने वाले सभी उपयोक्ता
- ii. 1" व्यास तक के डिलिवरी पाइप के माध्यम से एकल डग वेल/ बोरेवेल/ ट्यूबवेल से भूजल की निकासी करने/ निकासी का प्रस्ताव करने वाले विशिष्ट कुटुंब
- iii. कृषि उपयोक्ता
- iv. जंगी कार्रवाई तैनाती अथवा सीमा सैनिकीकरण के दौरान सशस्त्र बल प्रतिष्ठान

निम्नलिखित उपयोक्ता वर्ग को प्रपत्र (अनुलग्नक-III) के अनुसार केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण को विवरण प्रस्तुत करने पर भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी।

- i. सशस्त्र बल के लिए युद्धनीति एवं जंगी कार्रवाई अवसंरचनात्मक परियोजनाएं
- ii. रक्षा प्रतिष्ठान एवं अर्धसैनिक बल प्रतिष्ठान
- iii. सुरक्षित एवं अर्ध गंभीर क्षेत्रों में सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी

क्रम संख्या I, II, एवं III पर उल्लिखित एजेंसियां मासिक भूजल निकासी की मॉनिटरिंग करने के लिए डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर संस्थापित करेंगी, यदि प्रस्तावित भूजल निकासी > 10 घन मीटर / दिन से अधिक है तो भूजल स्तर की नियमित मॉनिटरिंग के लिए प्रेक्षण कूपों (पीज़ोमीटर) का निर्माण करेंगी जो डीडब्ल्यूएलआर से लैस हो। डाटा साझा करने के लिए तंत्र धारा 2.3.1 VIII जैसा ही होगा। ये एजेंसियां वर्ष में एक बार अप्रैल/ मई माह के दौरान निकासी संरचनाओं से भूजल की गुणवत्ता की भी मॉनिटरिंग करेंगी। पीज़ोमीटर के निर्माण संबंधी दिशानिर्देश अनुलग्नक- IV पर दिये गए हैं। संकलन किए गए भूजल नमूनों का एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाएगा। भूजल निकासी, भूजल स्तर एवं भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को वेब पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

2.2 पेय एवं घरेलू उपयोग

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन पर केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा जहां उस क्षेत्र विशेष में संबन्धित जल आपूर्ति विभाग/एजेंसी पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति करने में असमर्थ है। पेय एवं घरेलू उपयोग के लिए भूजल की निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दो प्रमुख वर्गों की पहचान की गई है :

क) व्यक्तिगत कुटुंब

ख) अवसंरचनात्मक परियोजनाएं/उद्योग/खनन परियोजनाएं/जल आपूर्ति एजेंसियां/ अन्य

2.2.1. व्यक्तिगत कुटुंब :

इस वर्ग के अंतर्गत एक से अधिक सक्रिय बोरेवेल/ टूबेवेल/ डगवेल के माध्यम से अथवा एकल भूजल निकासी संरचना से 1" से अधिक व्यास वाले डिलीवरी पाइप के माध्यम से भूजल की निकासी करने/ निकासी करने का प्रस्ताव करने वाले व्यक्तिगत कुटुंब एवं उद्योगों को भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। भूजल की निकासी के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा :

- i. अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के साथ कुटुंब के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न होना चाहिए।
- ii. नए कुओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल उन्ही मामलों में प्रदान किए जाएंगे जहां सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली अस्तित्व में नहीं है/ जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है।
- iii. आवेदक द्वारा सार्वजनिक जल आपूर्ति के न होने/ अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की पुष्टि के समर्थन में 10/- रु० के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- iv. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा कुटुंब को सार्वजनिक जल आपूर्ति उपलब्ध कराने, जो भी पहले हो, तक वैध होगा। आवेदक द्वारा इसकी वैधता समाप्त होने के कम से कम 90 दिवस पूर्व इसके नवीकरण हेतु आवेदन किया जाना चाहिए।
- v. उपयोक्ता द्वारा ट्यूबवेल/ बोरेवेल/ डगवेल पर डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर संस्थापित किया जाएगा तथा वेब पोर्टल के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे।
- vi. उपयोगकर्ता द्वारा भूजल निष्कर्षण से संबंधित आंकड़े वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
- vii. यदि मौजूदा कूप एनओसी की वैधता अवधि के भीतर निष्क्रिय हो जाता है, तो उपयोगकर्ता सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय निदेशक को सूचित करते हुए प्रतिस्थापन कूप का निर्माण कर सकता है। अनुलग्नक-V में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निष्क्रिय कुएं को उपयुक्त रूप से सील कर दिया जाए।
- viii. मौजूदा भवन कानूनों के अनुसार मालिक छत के वर्षा जल संचयन को लागू करेगा। हालांकि, जल जमाव जमीन के स्तर 5 मीटर के भीतरके क्षेत्रों में कोई रिचार्ज नहीं किया जाएगा।
- ix. भूजल निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर मालिकद्वारा निर्धारित जल संरक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। (संदर्भ उपधारा 2.6)
- x. संपत्ति /भूमि/ जल उपयोग में बदलाव के मामले में एनओसी अवैध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मालिक द्वारा नए एनओसी के लिए आवेदन करना अनिवार्य हो जाएगा।

2.2.2. अवसंरचना परियोजनाएं / उद्योग / खनन परियोजनाएं / सार्वजनिक जल आपूर्ति एजेंसियां / अन्य जिन्हें केवल पेय और घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता होती है

इस श्रेणी के तहत विचारार्थ अवसंरचना परियोजनाओं की एक सूचक सूची अनुलग्नक -VI में दी गई हैं। केवल अवसंरचना परियोजनाओं/ उद्योग / खनन परियोजनाएं / जल आपूर्ति एजेंसियों /अन्य के पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एनओसी के लिए आवेदन करना होगा:

- I. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एनओसी के लिए आवेदन करना होगा:
 - i. वैधानिक निकायों जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन/ (एसईएसी) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति/ शहरी/ (एसपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ (एसएलईआईएए) प्राधिकरण उद्योग विभाग/ ग्रामीण विकास प्राधिकरण या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरण द्वारा संदर्भित विषय/लाइसेंस/स्थापना सहमति/जारी लाइसेंस के

रूप में अनुमोदन।

- ii. फ्लशिंग आदि के लिए उपचारित जल के पुनःचक्रण/पुनःउपयोग को ध्यान में रखते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड, (2016) (अनुलग्नक-VII) के अनुसार गणना की गई जल की आवश्यकता का विवरण।
- iii. 10 घन मीटर / दिन तक भूजल की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ताओं के मामले में आवेदक द्वारा पेय / घरेलू उपयोग के लिए सार्वजनिक जल आपूर्ति की गैर / अपर्याप्त उपलब्धता की पुष्टि करते हुए 10/- रुपए के गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र।
- iv. पेय/घरेलू उपयोग के लिए 10 घन मीटर/दिन से अधिक भूजल की आवश्यकता वाले अवसंरचनात्मक परियोजना/उद्योग/खनन के मामले में सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी से जल की अनुलब्धता का प्रमाण पत्र
- v. एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से मौजूदा परियोजनाओं के लिए फ्लशिंग, उपचारित जल का उपयोग/हरित पट्टी आदि के उद्देश्य के लिए पुनःचक्रण अनिवार्य होगा।

- II. 12.5 घन मी .प्रतिदिन से कम भूजल की आवश्यकता वाले नये परियोजनाओं के लिए फ्लशिंग , हरित पट्टी आदि के उद्देश्य के लिए पुनःचक्रण किए गए / उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग/ अनिवार्य होगा।
- III. सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली द्वारा अपेक्षित जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के मामले में ही नई मौजूदा कूपों के लिए एनओसी की मंजूरी दी जाएगी।
- IV. यदि मौजूदा कूप एनओसी की वैधता अवधि के भीतर निष्क्रिय हो जाता है, तो उपयोगकर्ता सीजीडब्ल्यूवी के क्षेत्रीय निदेशक को सूचित कराते हुए प्रतिस्थापन कूप का निर्माण कर सकता है। निष्क्रिय कुएं को उपयुक्त रूप से सील कर दिया जाए (-संदर्भ अनुलग्नकV)।
- V. जहाँ भूजल स्तर भूतल से 5 मीटर ज्यादा गहरा है, प्रस्तावक द्वारा परियोजना क्षेत्र में छत के वर्षाजल संचयन प्रणाली संस्थापित करना अनिवार्य होगा,
- VI. प्रस्तावक द्वारा भूजल निकासी की मात्रा के आधार पर निर्धारित जल संरक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा (संदर्भ 2.6 उपधारा),
- VII. निष्कर्षण संरचना में डिजिटल जल बहाव मीटर (बीआईएस मानकों के अनुसार) वाला लगाना अनिवार्य होगा तथा इस संबंध में केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण को सूचित करते हुए वेब पोर्टल के माध्यम से 30 दिन के भीतर एनओसी की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। मासिक भूजल निकासी संबंधी रिपोर्ट केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण को वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- VIII. 10 घन मीटर प्रतिदिन या उससे अधिक भूजल की निकासी करने वाले प्रस्तावकों के लिए मासिक भूजल स्तर मॉनिटरिंग उद्देश्यपरक आकलन कूपों का निर्माण आवश्यक होगा। पीजोमीटर के निर्माण से संबंधित दिशा निर्देशों का विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है। पीजोमीटर में टैप किए गए जलभृत की गहराई और ज़ोन पंपिंग कूप के अनुरूप होंगे।
- IX. सुरक्षित तथा अर्धगंभीर आकलन इकाइयों में 50 से 500 घन मी. प्रतिदिवस और गंभीर एवं अतिदोहित आकलन इकाइयों में 20 से 200 घन मी. प्रतिदिवस भूजल की आवश्यकता वाले परियोजना में कूपों में डीडब्ल्यूएलआर की संस्थापना अनिवार्य होगी। सुरक्षित, अर्धगंभीर, अतिदोहित तथा सेलीन मूल्यांकन पर www.noc-cgwb.gov.in उपलब्ध है।
- X. सुरक्षित तथा अर्धगंभीर आकलन इकाइयों में 500 घनमीटर/दिवस या इससे अधिक और प्रतिदिवस गंभीर एवं अतिदोहित आकलन इकाइयों में 200 घन मी. या अधिक भूजल की आवश्यकता वाले परियोजनाओं में आकलन कूपों में टेलोमेट्री के साथ डीडब्ल्यूएलआर की संस्थापना अनिवार्य होगी।

संयत्र के आपूर्तिकर्ता द्वारा देता सर्वर का रखरखाव किया जाएगा तथा केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण को इससे जोड़ा जायेगा। उपरोक्त एजेंसी को यूजर/संबंधित राज्य आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने का दायित्व आवेदक का होगा।

- XI. मासिक जल स्तर आंकड़े सीजीडबल्यूएको वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
- XII. सभी प्रस्तावक निकासी संरचना (ओं) के माध्यम से भूजल की गुणवत्ता की मानीटरिंग करेंगे। प्रति वर्ष अप्रैल / मई माह के दौरान बोरवेल / ट्यूबवेल / डग वेल से जल के नमूने एकत्र किए जाएंगे और मूल पैरामीटरों (कैटायन और आयनों), भारी धातुओं, कीटनाशकों / जैविक यौगिकों आदि के लिए एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में इनका विश्लेषण किया जाएगा। जल गुणवत्ता डेटा सीजीडबल्यूएको वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
- XIII. एनओसी जारी होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा परियोजना क्षेत्र में सार्वजनिक जल आपूर्ति उपलब्ध कराने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगा।
- XIV. अवसंरचनात्मक परियोजना के निवासी के समर्थक / अधिकृत प्रतिनिधि एनओसी की वैधता की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले एनओसी के नवीकरण के लिए आवेदन करेंगे।

2.3 उद्योग / खनन / अवसंरचनात्मक परियोजनाएं

सभी मौजूदा / नए / विस्तार किए जाने वाले उद्योग / खनन / अवसंरचनात्मक परियोजनाएं जो ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से भूजल की निकासी कर रहे हैं / करने का प्रस्ताव रखते हैं, उन्हें भूजल निकासी के लिए केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

2.3.1 उद्योग

उद्योगों को एनओसी केवल उन्हीं मामलों में प्रदान की जाएगी जहां सरकारी एजेंसियां पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं। एनओसी के लिए आवेदन पर निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा :

- I. एनओसी के आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :
 - i. वैधानिक निकायों यथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसएलआईआईएए) अथवा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अथवा खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) अथवा उद्योग विभाग अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी संदर्भित विषय / स्थापना सहमति / लाइसेंस।
 - ii. उद्योग विभाग / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन संबंधी वैध सहमति / संचालन सहमति के नवीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्रति।
 - iii. ऐसे मामलों में जहां भूजल की आवश्यकता 10 घन मीटर / दिन से अधिक है, संबंधित सरकारी एजेंसी से स्वच्छ / उपचरित अपशिष्ट जल आपूर्ति की गैर / आंशिक उपलब्धता के संबंध में प्रमाण पत्र।
 - iv. ऐसे मामलों में जहां भूजल की आवश्यकता 10 घन मीटर तक है, सरकारी एजेंसियों से जल आपूर्ति की अनुपलब्धता के संबंध में 10/-रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

- v. मौजूदा उद्योगों के संबंध में एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से बोरवेल / ट्यूबवेल / डगवेल का जल गुणवत्ता डेटा।
- II. सुरक्षित आकलन इकाइयों में 2000 घन मीटर/ दिन से अधिक, अर्धगंभीर और गंभीर आकलन इकाइयों में 1500 घन मीटर प्रति दिन से अधिक तथा अतिदोहित आकलन इकाइयों में 1000 घन मीटर / दिन से अधिक भूजल की निकासी करने / करने का प्रस्ताव रखने वाले उपयोक्ताओं के लिए एनएबीईटी मान्यता प्राप्त परामर्शदाता द्वारा भूजल वैज्ञानिकी रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य होगा। भूजल वैज्ञानिकी रिपोर्ट का प्रपत्र अनुलग्नक VIII में दिया गया है। निकासी संरचना (ओं) में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर (बीआईएस मानक के अनुरूप) की संस्थापना अनिवार्य होगी तथा एनओसी प्रदान करने के 30 दिनों की अवधि के अंदर इसकी सूचना सीजीडब्ल्यूए को वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।
- III. मासिक वॉटर फ्लो मीटर रीडिंग दर्ज की जाएगी और भूजल निकासी की रिपोर्ट सीजीडब्ल्यूए को वेब पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।
- IV. उद्योग पुनः चक्रण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग के माध्यम से स्वच्छ भूजल के उपयोग को कम करेंगे।
- V. सुरक्षित और अर्द्ध-गंभीर आकलन इकाइयों में 500 घन मीटर प्रति दिन अथवा उससे अधिक तथा अति दोहित आकलन इकाइयों में 200 घन मीटर/ दिन या इससे अधिक भूजल की निकासी करने वाले सभी उद्योग सीआईआई / फिक्की / एनपीसी प्रमाणित लेखा परीक्षकों के माध्यम से जल लेखा परीक्षा कराएंगे (अनुलग्नक-IX) तथा लेखा परीक्षा के पूरा होने के तीन महीने के भीतर सीजीडब्ल्यूए को वेब पोर्टल के माध्यम से सूचित करेंगे। अनुवर्ती लेखा परीक्षा सुरक्षित / अर्द्ध-गंभीर आकलन इकाइयों के लिए 3 वर्षों में एक बार तथा गंभीर / अति दोहित आकलन इकाइयों के लिए 2 वर्षों में एक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।
- VI. ऐसे उद्योग जो 10 घन मीटर / दिन से अधिक भूजल की निकासी कर रहे हैं / करने का प्रस्ताव रखते हैं, के लिए मासिक भूजल स्तर मानीटरिंग हेतु परिसर के भीतर प्रेक्षण कूप / कूप (पीजोमीटर) का निर्माण अनिवार्य होगा। पीजोमीटर की गहराई और टैप किए गए जलभृत क्षेत्र पंपिंग कूप / कूपों के अनुरूप होंगे। प्रेक्षण कूपों (पीजोमीटर) की संख्या अनापत्ति प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा। पीजोमीटर के निर्माण संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश अनुलग्नक IV में दिए गए हैं। मासिक जल स्तर आकड़े सीजीडब्ल्यूए को वेब पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे।
- VII. ऐसे उद्योग जो सुरक्षित एवं अर्द्ध गंभीर आकलन इकाइयों में 500 घन मीटर / दिन से कम तथा गंभीर और अतिदोहित आकलन इकाइयों में 200 घन मीटर/ दिन से कम भूजल की निकासी कर रहे हैं अथवा करने का प्रस्ताव रखते हैं, भूजल स्तर की निरंतर मानीटरिंग के लिए प्रेक्षण कूपों में डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) संस्थापित करेंगे। जल स्तर की गहराई की प्रत्येक 12 घंटे अंतराल पर मानीटरिंग की जाएगी तथा प्राप्त किए गए डीडब्ल्यूएलआर आकड़े पुनः प्राप्त किये जायेंगे और वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीडब्ल्यूए को दिए जायेंगे।
- VIII. ऐसे उद्योग जो सुरक्षित एवं अर्द्ध गंभीर आकलन इकाइयों में लगभग 500 घन मीटर / दिन से अधिक तथा गंभीर और अतिदोहित आकलन इकाइयों में 200 घन मीटर/ दिन से अधिक भूजल की निकासी कर रहे हैं अथवा करने का प्रस्ताव रखते हैं, भूजल स्तर की निरंतर मानीटरिंग के लिए प्रेक्षण कूपों में डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) सहित टेलीमेट्री संस्थापित करेंगे। इस उपकरण के आपूर्तिकर्ता द्वारा सर्वर का रख रखाव किया जाएगा तथा सीजीडब्ल्यूए को सर्वर से जोड़ा जाएगा। उपरोक्त एजेंसि को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करने का दायित्व समर्थक का होगा।

- IX. सभी उद्योग निकासी संरचना (संरचनाओं) के माध्यम से भूजल की गुणवत्ता की मानीटरिंग करेंगे। अप्रैल / मई माह के दौरान बोरवेल / ट्यूबवेल / डग वेल से जल के नमूने एकत्र किए जाएंगे और मूल पैरामीटरों (कैटायन और आयनों), भारी धातुओं, कीटनाशकों / जैविक यौगिकों आदि के लिए एनएवीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में इनका विश्लेषण किया जाएगा। जल गुणवत्ता डेटा सीजीडब्ल्यूएके वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- X. सीपीसीबी के अनुसार लाल और नारंगी श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत उद्योगों (http://envfor.nic.in/sites/default/files/Latest_118_Final_Directions.pdf पर उपलब्ध सूची) के अतिरिक्त उद्योग एनओसी प्राप्त करने के छह माह के भीतर छत के वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन करेंगे। जल जमाव संभावित क्षेत्रों (5 एमबीजीएल के भीतर जल स्तर) में संचित जल के पुनर्भरण की अनुमति नहीं होगी।
- XI. उद्योगों द्वारा जल निकासी की मात्रा के आधार पर लागू जल संरक्षण शुल्क (डब्ल्यूसीएफ) जमा किया जाएगा (उपधारा 2.6 देखें)। जो उद्योग प्रदूषण या किसी अन्य वैध कारण के संभावित खतरे के कारण छत के शीर्ष वर्षा जल संचयन को लागू करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें इस इकाई द्वारा पुनर्भरण किए जा सकने वाले जल की मात्रा की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त जल संरक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- XII. सुरक्षित और अर्द्ध-गंभीर क्षेत्रों में एनओसी 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे तथा गंभीर और अति दोहित क्षेत्रों में एनओसी 2 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
- XIII. आवेदक इसकी वैधता समाप्त होने से कम से कम 90 दिन पहले एनओसी के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- XIV. जिन उद्योगों में भूजल प्रदूषण की संभावना है (उदाहरण के लिए, चमड़ा उद्योग, बूचड़ खाना, डाई, केमिकल / पेट्रोकेमिकल, कोल वाँशरी, अन्य जोखिम वाले इकाइयों (सीपीसीबी के सूची के अनुसार) वे भूजल प्रदूषण की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे **(अनुलग्नक-X)**।
- XV. संयंत्र परिसर के अंदर / बाहर अपशिष्ट जल के पुनर्भरण / उपचारित / अनुपचारित अपशिष्ट जल का अंतःक्षेपन सख्त रूप से प्रतिबंधित है।
- XVI. ऐसे मौजूदा उद्योग जो एनओसी प्राप्त कर चुके हैं तथा एनओसी में निर्दिष्ट पुनर्भरण उपायों का कार्यान्वयन कर रहे हैं, उन्हें डब्ल्यूसीएफ का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। यद्यपि उद्योग में विस्तार किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त मात्रा में भूजल निकासी के लिए लागू दरों के अनुसार डब्ल्यूसीएफ का भुगतान करना होगा।
- XVII. मौजूदा उद्योग जिन्होंने एनओसी प्राप्त कर ली है तथा तालाब / तालाबों को अपनाया है परंतु विभिन्न कारणों से निर्दिष्ट मात्रा में पुनर्भरण का कार्यान्वयन नहीं कर पाएँ हैं, को तालाब / तालाबों को अपनाएने से छूट का विकल्प होगा तथा उन्हें इन दिशानिर्देशों के लागू होने के छह माह के भीतर डब्ल्यूसीएफ का भुगतान करना होगा। यदि नवीकरण के समय यह पाया गया कि उद्योग द्वारा एनओसी में निर्दिष्ट पुनर्भरण शर्तों की अनुपालना नहीं की गई है तो ऐसे उद्योग को डब्ल्यूसीएफ के अतिरिक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निर्दिष्ट दंड का भुगतान करना होगा।
- XVIII. जहां तक व्यवहार्य हो, ग्रीन बेल्ट (बागवानी) के लिए जल की आवश्यकता को पुनः चक्रण किए गए जल/ उपचारित अपशिष्ट जल से पूरा किया जाएगा।
- XIX. यदि कोई मौजूदा कुआं एनओसी की वैधता अवधि के भीतर ही निष्क्रिय हो जाता है, तो प्रस्तावक सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालय / संबंधित राज्य / संघ राज्य प्राधिकरण को सूचित करते हुए अन्य कूप प्रतिष्ठापित करेगा। निष्क्रिय कूप को समुचित रूप से सील कर दिया जाएगा (अनुलग्नक-V)।
- XX. उद्योग के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में नए मालिक द्वारा परिसर के अधिग्रहण के 45 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण सहित एनओसी में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।

2.3.2 खनन परियोजनाएं

सभी मौजूदा एवं नए खनन परियोजनाएं खान जल निष्कर्षण और / अथवा कुएं के माध्यम से भूजल की निकासी, यदि कोई हो, के लिए केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करेगा। भूजल की निकासी के लिए एनओसी निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाएगी :

- I. एनओसी के आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :
 - i. वैधानिक निकायों से नामतः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसएलआईआईएए) अनुमोदन।
 - ii. प्रमाणित माइनिंग लीज़ मैप
 - iii. स्वामित्व / भूमि के पट्टा का दस्तावेज।
 - iv. संबंधित सरकारी एजेंसी / विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना।
 - v. क्षेत्र के कोर और बफर जोन में भूजल की परिस्थिति पर खनन भूजल वैज्ञानिक अथवा एनएबीईटी मान्यता प्राप्त परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट, गहराई वार एवं वर्षवार खनन रिसाव गणना, खनन एवं डिवाटरिंग का प्रभाव आकलन, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग एवं पुनर्भरण का विवरण खनन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से पंपिंग में कमी तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूजल पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए जल प्रबंधन रिपोर्ट का प्रारूप अनुलग्नक-VIII में दिया गया है।
- II. डी-वॉटरिंग से उपलब्ध जल को जल आपूर्ति, सिंचाई, धूलदमन, खनन प्रक्रिया आदि जैसे लाभकारी उपयोग में लाया जाएगा।
- III. निकासी संरचना (संरचनाओं) में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर (बीआईएस मानक के अनुरूप) की संस्थापना अनिवार्य होगी तथा इसकी सूचना वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीडब्ल्यू को दी जानी चाहिए।
- IV. फ्लो वॉटर मीटर की रीडिंग डिजिटल रूप में की जाएगी तथा इसे वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीडब्ल्यू को प्रस्तुत किया जाएगा।
- V. प्रस्तावक द्वारा भूजल निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर लागू डब्ल्यूसीएफ का भुगतान करना होगा (उपधारा 2.6 देखें)।
- VI. ऐसे उद्योग जो 10 घन मीटर / दिन से अधिक भूजल की निकासी कर रहे हैं / करने का प्रस्ताव रखते हैं, के लिए मासिक भूजल स्तर मानीटरिंग हेतु परिसर के भीतर परिधि के साथ प्रेक्षण कूप / कूप (पीजोमीटर) का निर्माण अनिवार्य होगा। पीजोमीटर की गहराई और टैप किए गए जलभृत क्षेत्र पंपिंग कूप / कूपों के अनुरूप होंगे। प्रेक्षण कूपों (पीजोमीटर) की संख्या अनापत्ति प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा। पीजोमीटर के निर्माण संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं। मासिक जल स्तर आकड़े वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीडब्ल्यू को प्रस्तुत किया जाएगा।

- VII. ऐसे उद्योग जो सुरक्षित एवं अर्ध गंभीर आकलन इकाइयों में 50 से 500 घन मीटर / दिन से कम तथा गंभीर और अतिदोहित आकलन इकाइयों में 20 से 200 घन मीटर/ दिन से कम भूजल की निकासी कर रहे हैं अथवा करने का प्रस्ताव रखते हैं, भूजल स्तर की निरंतर मानीटरिंग के लिए प्रेक्षण कूपों में डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) संस्थापित करेंगे। जल स्तर की गहराई की प्रत्येक 12 घंटे अंतराल पर मानीटरिंग की जाएगी तथा प्राप्त किए गए डीडब्ल्यूएलआर आकड़े तिमाही आधार पर वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीडब्ल्यूए को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- VIII. ऐसे उद्योग जो सुरक्षित एवं अर्ध गंभीर आकलन इकाइयों में 500 घन मीटर / दिन से अधिक तथा गंभीर और अतिदोहित आकलन इकाइयों में 200 घन मीटर/ दिन से अधिक भूजल की निकासी कर रहे हैं अथवा करने का प्रस्ताव रखते हैं, भूजल स्तर की निरंतर मानीटरिंग के लिए प्रेक्षण कूपों में डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) सहित टेलीमेट्री संस्थापित करेंगे। इस उपकरण के आपूर्तिकर्ता द्वारा सर्वर का रख रखाव किया जाएगा तथा सीजीडब्ल्यूए सर्वर से जोड़ा जाएगा। उपरोक्त एजेंसियों सीजीडब्ल्यूए को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करायेंगी।
- IX. इसके अतिरिक्त प्रस्तावक द्वारा कोर और बफर जॉन में प्रमुख कूपों की संस्थापना के माध्यम से भूजल स्तर की मानीटरिंग की जाएगी जैसा कि एनओसी में निर्दिष्ट है।
- X. सभी खनन इकाई निकासी संरचना (ओं) के माध्यम से भूजल की गुणवत्ता की मानीटरिंग करेंगे। अप्रैल / मई माह के दौरान बोरवेल / ट्यूबवेल / डग वेल से जल के नमूने एकत्र किए जाएंगे और मूल पैरामीटरों (कैटायन और आयनों), भारी धातुओं, कीटनाशकों / जैविक यौगिकों आदि के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में इनका विश्लेषण किया जाएगा। जल गुणवत्ता डेटा सीजीडब्ल्यूए पर वार्षिक आधार को वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे।
- XI. एनओसी जारी करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
- XII. प्रस्तावक द्वारा एनओसी की वैधता समाप्त होने से कम से कम 90 दिन पहले एनओसी के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा।

2.3.3 ऐसी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं जिन्हें निर्माण हेतु डिवाँटरिंग अथवा भूजल के उपयोग की आवश्यकता होती है।

नए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं / आवासीय भवनों को निर्माण गतिविधि के दौरान डिवाँटरिंग अथवा भूजल के उपयोग की आवश्यकता होती है। इन दोनों ही मामलों में कार्य आरंभ करने से पहले आवेदक को सीजीडब्ल्यूए से एनओसी प्राप्त करनी होगी। एनओसी निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाएगी :

- I. **एनओसी के आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए :**
- वैधानिक** निकायों नामतः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफओर सीसी) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) या राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसएलआईआईएए) या शहरी / ग्रामीण / क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अनुमोदन पत्र ।
 - ऐसे मामलों में, जहां 100 मी³ प्रतिदिन से अधिक विजलन की आवश्यकता होती है, उस क्षेत्र में भूजल की स्थिति पर एनएबीईटी मान्यता प्राप्त परामर्शदाता द्वारा पंपिंग की विस्तृत योजना, पंप किए गए पानी का प्रस्तावित उपयोग और भूजल पद्धती पर इसके व्यापक प्रभाव मूल्यांकन पर भूजल वैज्ञानिक रिपोर्ट। रिपोर्ट में किसी भी महत्वपूर्ण

- पर्यावरणीय मुद्दों को दूर करने के लिए पर्यावरणीय जोखिमों और प्रस्तावित प्रबंधन कार्यनीतिको उजागर करना चाहिए।
- iii. सुरक्षित और अर्ध-गंभीर क्षेत्रों में निर्माण के लिए किसी अन्य स्रोत से जल की अनुपलब्धता के संबंध में 10 / - रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
- iv. गंभीर और अति दोहित क्षेत्रों में साइट के 10 किमी के भीतर निर्माण के लिए उपचारित किए गए सीवेज जल की अनुपलब्धता के संबंध में सरकारी एजेंसी से प्रमाण पत्र।
- II. भवन निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद परियोजना परिसर में प्रस्तावक को छत से वर्षा जल संचयन को अपनाने की आवश्यकता होगी। जल भराव वाले क्षेत्रों में पुनर्भरण उपायों को लागू नहीं किया जाएगा। (भू स्तर से 5 मीटर नीचे तक के जल स्तर)।
- III. प्रस्तावक को भूजल निकासी की मात्रा के आधार पर जल संरक्षण शुल्क (डब्ल्यूसीएफ), जैसा लागू है, का भुगतान करना होगा (उपधारा 2.6 देखें)।
- IV. प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित रूप में नियमित मानीटरिंग की जाएगी।

| मानीटर किये जाने वाले पैरामीटर | आवृत्ति | सीजीडब्ल्यूए का प्रस्तुतीकरण |
|--|-------------------|------------------------------|
| विजलननिस्सरण दर(डिजिटल वॉटर मीटर का उपयोग करके) | निरंतर | वेब पोर्टल के माध्यम से |
| सीजीडब्ल्यूए के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के परामर्श से आब्जरवेशन कूपों के विनिर्माण द्वारा आस-पास के क्षेत्रों में जल स्तर का आकलन करना। | 15 दिन में एक बार | वेब पोर्टल के माध्यम से |

सीजीडब्ल्यूए / द्वारा आवश्यक निरीक्षण या रिपोर्टिंग के लिए निगरानी रिकॉर्ड और निष्कर्षों को दो वर्षों तक प्रस्तावक द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव के अनुसार एनओसी विशिष्ट अवधि के लिए मान्य होगा।

2.4 कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चूंकि किसानों की आजीविका कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए उन्हें सीजीडब्ल्यूए से भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने में छूट दी जाएगी। भू-जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य विभागों (कृषि / सिंचाई / जल संसाधन) को निम्नलिखित उपायों का पालन करना होगा। मांग पक्ष के उपायों की एक इंगित सूची नीचे दी गई है।

- सतही / भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली को अपनाकर वहन के नुकसानको कम करें।
- ड्रिप/स्प्रिंकलर और अन्य जल की बचत वाली सिंचाई विधियों / प्रथाओं / तकनीकों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना।
- फसल विविधीकरण से कम पानी का उपभोग करने वाली फसलों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना।
- किसानों को अपने बोरवेल को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना और चयनित वर्षा वाले स्थानों / क्षेत्रों में सिंचाई की सुरक्षा के लिए अधिक फसल उगाना।
- कृषि जल संग्रहण संरचनाओं के विकास के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना।
- जल की अधिक आवश्यकता वाली फसलों के लिए जल उपयोग दक्षता उपायों को अपनाना।
- कमान क्षेत्रों में सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना।
- उपचारित / पुनः चक्रित जल के उपयोग / पुनः उपयोग को बढ़ावा देना।
- कृषि पंप सेट के लिए समर्पित बिजली फीडर और निश्चित घंटों के लिए सुनिश्चित बिजली के लिए प्रावधान।

2.5 लवणीय भूजल / संदूषित भूजल की निकासी

उद्योग द्वारा उपयोग के लिए लवणीय / संदूषित भूजल की निकासी / अवसंरचना / खनन परियोजनाओं, अतिदोहित क्षेत्रों में स्थित सहित द्वारा निष्कर्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। सक्रियात्मक भूजल संसाधनों के नवीनतम आकलन के अनुसार, समस्त गहराई पर लवणीय भूजल वाली ऐसी आकलन इकाइयों की सूची एनओसीएपी वेबसाइट में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पेकेज्ड पेयजल इकाइयों को गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में लवणीय जल / दूषित भूजल की निकासी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के निपटारे के संबंध में उचित देखभाल की जानी चाहिए ताकि जल निकायों और जलभृतों को प्रदूषण से बचाया जा सके। ऐसे मामलों से संबंधित प्रस्तावों में लवणीय / दूषित / प्रदूषित जल और इसके विभिन्न उपयोगों को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए वाली एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सम्मिलित होनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा, विशेष रूप से क्षेत्र और इसके आसपास के स्वच्छ जलभृतों के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। उद्योग और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए एनओसी देने के लिए अन्य शर्तें क्रमशः धारा 2.3 में उल्लिखित हैं। लवणीय / दूषित भूजल की निकासी के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी:

- i. प्रस्तावक द्वारा लवणीय/ /प्रदूषित भूजल संदूषितक्षेत्र में स्वच्छ जल के जलभृत, यदि कोई हो, को प्रभावित नहीं करेगी।
- ii. परिसर में लवणीय या अनुपचारित अपशिष्ट का निपटान नहीं किया जाना चाहिए।
- iii. जलभृत के जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नमूने, जिसमें से लवणीय /दूषित पानी पंप किया जाता है और जो निकट, अंतर्निहित या ऊपरी जल भृत, यदि कोई हो, के नमूने हर साल अप्रैल और मई में एकत्र किए जाने चाहिए और बुनियादी मानको (केशन और कैटायन), भारी धातुओं, कीटनाशकों, कार्बनिक योगिकों आदि के लिए एनएवीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषण किया जाना चाहिए। जल गुणवत्ता के डेटा सीजीडब्ल्यूए को वार्षिक आधार पर वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे।
- iv. स्वच्छ जल अथवा ऊपरी जलभृत युक्त लवणीय जलभृत वाले क्षेत्रों में, एनओसी के लिए आवेदन एनएवीईटी मान्यता प्राप्त परामर्शदाता द्वारा गणितीय मॉडलिंग अध्ययन सहित शुद्ध जल के या ऊपरी जलभृत वाले क्षेत्रों में भूजल के आहरण के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाते हुए विस्तृत भूजल वैज्ञानिक रिपोर्ट जमा करने पर ही स्वीकृत किया जाएगा। (अनुलग्नक- IX देखें)। यह शर्त प्रतिदिन 100 मीटर³ से अधिक लवणीय भूजल की निकासी करने वाले प्रस्तावकों पर लागू होगी।

2.6 जल संरक्षण शुल्क (डब्ल्यूसीएफ)

गंगा मामले के संबंध में एमए संख्या 200/2014 दिनांक 13 जुलाई, 2017 के एनजीटी आदेश के अनुसार, सभी उपयोगकर्ताओं को भूजल निकासी के लिए भुगतान करना होगा। तदनुसार, सभी भूजल उपयोगकर्ताओं को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूजल निकासी की मात्रा के आधार पर डब्ल्यूसीएफ का भुगतान करना होगा। विभिन्न उपयोगों के लिए भूजल निकासी के लिए डब्ल्यूसीएफ दर निम्नलिखित पर विचार करने के बाद तय किए गए हैं: i) उद्योगों/आधारभूत संरचना इकाइयों /खनन द्वारा वर्षा जल संचयन / कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को कार्यान्वित करने की लागत, जिसे पहले दिये गए एनओसी के अनुसार अनिवार्य किया गया है और ii) उद्योगों द्वारा सतही जल के उपयोग के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे शुल्क।

I. पेय और घरेलू उपयोग के लिए

(क) एनओसी की अनिवार्यतासे मुक्त सभी श्रेणियों को डब्ल्यू सी एफ का भुगतान करने से भी मुक्त रखा है।

(ख) सभी घरेलू उपयोगकर्ताओं, जिन्हें एन ओ सी लेने की आवश्यकता है तथा सरकारी आधारभूत तथा सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों को छोड़कर अन्य प्रस्तावको, जो आधारभूत परियोजना के अंतर्गत आते हैं, को निम्नलिखित दर पर डब्ल्यू सी एफ का भुगतान करना होगा :

| भूजल निकासी की मात्रा (घन मीटर /माह) | डब्ल्यू सी एफ की दर (रूपये प्रति घनमीटर प्रतिमाह) |
|--------------------------------------|---|
| 0-25 | कोई शुल्क नहीं |
| 25-50 | रु 1/- |
| >50 | रु 2/- |

सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों और सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं को रु 0.50 मी³/माह की दर से डब्ल्यू सी एफ का भुगतान करना होगा।

II. 50 घन मीटर/माह से अधिक निकासी कर रही पेकेज्ड पेय जल / सॉफ्ट ड्रिंक / ब्रूयरीज / डिस्टोलरी इकाइयां

| क्र सं | क्षेत्र की श्रेणी/ भूजल उपयोग | जल संरक्षण शुल्क (रु प्रति मी ³ / दिन) | | | |
|--------|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | < 200 घन मीटर /दिन | 200 से <1000 घन मीटर /दिन | 1000 to <5000 घन मीटर /दिन | 5000 घन मीटर /दिन या अधिक |
| 1. | सुरक्षित | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 2. | अर्द्ध गंभीर | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 3. | गंभीर | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 |
| 4. | अति दोहित | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |

III. पेकेज्ड पेय जल इकाइयां (50 घन मीटर /दिन से कम निकासी कर रही) तथा अन्य उद्योग

| क्र सं | क्षेत्रकी श्रेणी / भूजल उपयोग | जल संरक्षण शुल्क (रु. प्रति घन मीटर /दिन) भूजल की निकासी की मात्रा के आधार पर | | | |
|--------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | < 200घन मीटर /दिन | 200 से<1000 घन मीटर /दिन | 1000 से <5000 घन मीटर /दिन | 5000 घन मीटर /दिन और अधिक |
| 1. | सुरक्षित | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 2. | अर्द्ध गंभीर | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| 3. | गंभीर | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 4. | अति दोहित | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 20.00 |

IV. खनन /अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ

| क्र सं | क्षेत्र की श्रेणी / भूजल उपयोग | जल संरक्षण शुल्क (रु. घनमीटर/ दिन) | | | |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | < 200 घनमीटर/ दिन | 200 to <1000 घनमीटर/ दिन | 1000 to <5000 घनमीटर/ दिन | 5000 घनमीटर/दिन और अधिक |
| 1. | सुरक्षित | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2. | अर्द्ध गंभीर | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
| 3. | गंभीर | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 4. | अति दोहित | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |

भूजल निकासी के प्रत्येक स्लैब में दिये गये दरों से वर्ष में पंपिंग की मात्रा और दिनों की संख्या के गुणांक द्वारा वार्षिक डब्ल्यूसीएफ की राशि की गणना की जाएगी। लवणीय भूजल की निकासी करने वाले/ प्रस्तावित करने वाले उपयोगकर्ताओं को डब्ल्यूसीएफ में 25% छूट दी जाएगी। लवणता/आर्सेनिक / फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पेकेज्ड पेय के पानी की इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए डब्ल्यू सी एफ में 50% छूट दी जाएगी।

2.7 भूमि / जल उपयोग में परिवर्तन

संपत्ति / जल उपयोग के भूमि उपयोग में परिवर्तन की स्थिति में एन ओ सी अवैध हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भू स्वामी के लिए एन ओ सी के लिए आवेदन करना अनिवार्य हो जाएगा।

आवेदक को भूमि उपयोग में परिवर्तन से संबन्धित सभी दस्तावेज सक्षम प्राधिकारियों से पुष्टि के पश्चात जमा करने होंगे। क्षेत्र में भूमि उपयोग में परिवर्तन के बाद यदि कोई मौजूदा निकासी संरचनाएँ हैं, उनसे केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही भू जल की निकासी की जा सकती है। ऐसे मामलों पर परिवर्तित भू जल उपयोग के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2.8 अन्य शर्तें (सभी मामलों में प्रभावी)

- I. सीजीडब्ल्यूए से वैध एनओसी के बिना एजेंसियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राकृतिक/ असंसाधित/ अनुपचारित भूजल की विक्रय और आपूर्ति की अनुमति नहीं है।
- II. एनओसी में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना न करना एन ओ सी को रद्द करने, एनओसी का नवीकरण नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा।
- III. उपरोक्त संबन्धित अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- IV. निकासी संरचनाएँ परियोजना संपत्ति के परिसर के अंदर स्थिर होनी चाहिए।
- V. एनओसी में दी गयी शर्तों की अनुपालना की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा मामले के अनुसार सी जी डब्ल्यू एकी को आनलाइन/ पोर्टल पर दी जाएगी।
- VI. एनओसी जारी करने और नवीकरण करने के लिए समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो, लिया जाएगा।

2.9 एनओसी का नवीकरण

- I. एनओसी का नवीकरण उसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना होने पर आवधिक रूप से किया जाएगा।
- II. आवेदक को एनओसी की वैधता समाप्त होने के कम से कम 90 दिन पहले नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

- III. एनओसी नवीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ अनुपालना रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए। (अनुलग्नकXI के अनुसार)
- IV. नवीनीकरण से पहलेसीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय निदेशक, द्वारा एनओसी में दी गयी शर्तों की अनुपालना की जाँच करने के लिये परिसर का निरीक्षण किया जाएगा।
- V. क्षेत्र की श्रेणी में परिवर्तन की स्थिति में, ऐसे क्षेत्र के लिए रखी गयी शर्तों के साथ नवीकरण प्रदान किया जाएगा।
- VI. विभिन्न उपयोगों के लिए एन ओ सी विशिष्ट अवधि के लिए इस प्रकार दी जाएगी:

| उपयोग | नवीकरण की अवधि |
|--|----------------|
| व्यक्तिगत परिवार के पेय और घरेलू उपयोग के लिए | 5 वर्ष |
| अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, उद्योगों/खनन पेय तथा घरेलू उपयोग के लिए तथा जलापूर्ति एजेंसियां | 5 वर्ष |
| उद्योग | 3 वर्ष |
| खनन | 2 वर्ष |
| अतिदोहित एवं गंभीर क्षेत्रों में सभी उपयोगकर्ता | 2 वर्ष |

- VII. यदि कोई आवेदक नवीकरण के लिए समय से आवेदन करता है, और सीजीडब्ल्यूए द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो एनओ सी को नवीकरण की तिथि तक बढ़ाया हुआ माना जाएगा।
- VIII. यदि प्रस्तावक एन ओ सी की समाप्ति की तिथि के 3 माह के अंदर नवीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो जाता है, प्रस्तावक को जल संरक्षण शुल्क के पाँच गुना जुर्माना का भुगतान करना होगा। इस अवधि के बाद, मौजूदा निकासी संरचना को सील कर दिया जाएगा।

2.10. एनओसी का विस्तार

यदि प्रस्तावक यथार्थ कारणों से एनओसी की वैधता अवधि के दौरान कूपों के निर्माण में असमर्थ है, प्रस्तावक को एनओसी को बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। विस्तार के लिए आवेदन के साथ बिलंब के कारण से संबंधित दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए। एन ओ सी को विस्तार प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें नयी एन ओ सी के समान ही होंगी। एनओसी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। एनओसी की वैधता में बढ़ाई गयी अवधि की समाप्ति के बाद इसे दोबारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को एक नए एन ओ सी के लिए आवेदन करना होगा।

3. प्रक्रिया शुल्क

नई एनओसी प्रदान करने के लिए रु 10000/- प्रक्रिया शुल्क होगा, जबकि एन ओ सी के नवीकरण के लिए रु 5000/- शुल्क होगा।

4. छूट

केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण आवश्यकतानुसार या राष्ट्रीय महत्व की स्थिति में लिखित रूप में उल्लिखित कारणों से कानूनी विशेषज्ञ के परामर्श से इन दिशा निर्देशों में छूट या व्याख्या का अधिकार रखते हैं।

5. एनओसी की शर्तों के अनुपालन की मॉनिटरिंग करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक राजस्व जिले के जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया है, जिन्हें भूजल से संबंधित शिकायतों के निवारण सहित अनुपालना की निगरानी करने, उल्लंघन की जांच करने और अवैध कुओं को सील करने, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकार दिया गया है। गैरकानूनी भूजल निकासी जैसे उल्लंघन के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर/ सब-

डिवीज़नल मजिस्ट्रेट, विवेकानुसार ट्रिलिंग रिग जव्त करना, ट्यूब वेल/बोरवेल को सील करना, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बिजली की आपूर्ति को बंद करना सुनिश्चित करेगा। एनओसीएपी सिस्टम में सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी किए गए प्रत्येक एनओसी की प्रतिलिपि अनुपालन की मानिट्रिंग के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी। केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण और एनओसी में निर्धारित शर्तों के निर्देशों में उल्लंघन के मामले पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 से 21 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी एनजीटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत उपयुक्त न्यायिक पेज के समक्ष पर्यावरण की क्षतिपूर्ति हेतु भी मामले दायर करेगा।

नोट:

1. दिशानिर्देश में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।
2. इस दस्तावेज़ व इसके अनुलग्नक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के मध्य किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

अनुलग्नक - I

राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सूची जहां केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास को विनियमित किया जा रहा है

| क्रम संख्या | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र |
|-------------|---------------------------|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश |
| 2 | असम |
| 3 | बिहार |
| 4 | छत्तीसगढ़ |
| 5 | गुजरात |
| 6 | हरियाणा |
| 7 | झारखंड |
| 8 | मध्य प्रदेश |
| 9 | महाराष्ट्र |
| 10 | मणिपुर |
| 11 | मेघालय |
| 12 | मिजोरम |
| 13 | नगालैंड |
| 14 | ओडिशा |
| 15 | पंजाब |
| 16 | राजस्थान |
| 17 | सिक्किम |

| | |
|----|------------------------------|
| 18 | त्रिपुरा |
| 19 | उत्तर प्रदेश |
| 20 | उत्तराखंड |
| 21 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 22 | दादरा और नगर हवेली |
| 23 | दमन और दीव |

अनुलग्नक- II**प्रयोग किये गये तकनीकी शब्दों का शब्द कोष**

- सुरक्षित क्षेत्र:** सीजीडब्ल्यूबी और राज्य भूजल संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नवीनतम भूजल संसाधन मूल्यांकन के आधार पर, भूजल संसाधनों के दृष्टिकोण से सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र। विवरण एनओसीएपी और सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- अर्द्ध-गंभीर क्षेत्र:** सीजीडब्ल्यूबी और राज्य भूजल संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नवीनतम भूजल संसाधन मूल्यांकन के आधार पर, भूजल संसाधनों के दृष्टिकोण से अर्द्ध-गंभीर के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र। विवरण एनओसीएपी और सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- गंभीर क्षेत्र:** सीजीडब्ल्यूबी और राज्य भूजल संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नवीनतम भूजल संसाधन मूल्यांकन के आधार पर, भूजल संसाधनों के दृष्टिकोण से गंभीर के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र का विवरण/ विवरण एनओसीएपी और सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- अतिदोहित क्षेत्र:** सीजीडब्ल्यूबी और राज्य भूजल संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नवीनतम भूजल संसाधन मूल्यांकन के आधार पर, भूजल संसाधनों के दृष्टिकोण से अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र का विवरण एनओसीएपी और सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- जलभृत –** भूमि जल भंडारण एवं संचारण में सक्षम भूगर्भीय संरचना।
- गहरा जलभृत :** कई जलभृत प्रणाली वाले क्षेत्रों में सबसे ऊपरी जलभृत से नीचे का जलभृत।
- कूप :** भूजल के निष्कर्षण के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी संरचना जिनमें खुले कूप, डग कूप, बोरवेल, डग सह बोर वेल, नल कूप, फिल्टर प्वाइंट, संकलन कूप, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज़, रिचार्ज कूप, या इनके संयुक्त रूप अथवा इनके विविध रूप शामिल हैं।
- सरकारी एजेंसी:** केंद्र या राज्य सरकार के निकाय।
- आपूर्तिकर्ता :** सरकारी / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जल आपूर्ति एजेंसी।
- खान :** ऐसे क्षेत्र जहां खनन गतिविधि हो रही है, या खनन के बाद छोड़ा गया परित्यक्त क्षेत्र।
- अवैध भूजल अमूर्त संरचना:** ऐसे ऊर्जाकृत अमूर्त संरचना जैसे डगवेल, ट्यूबवेल, बोरेवेल जिसका उपयोग केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से वैध एनओसी के बिना भूजल निष्कर्षण के लिए किया जा रहा है।

12. **वर्षा जल संचयन:** भविष्य के उपयोग के लिए या भूजल पुनर्भरण हेतु छत के वर्षा जल संचयन सहित माइक्रो वाटरशेड स्केल पर वर्षा जल के संग्रह और भंडारण की तकनीक या प्रणाली।
13. **खनन परियोजना:** खुली कास्ट या भूमिगत या दोनों स्तर पर होने वाली खनन गतिविधि की परियोजना।
14. **भूजल ड्राफ्ट:** भूजल निकासी का क्वॉंटम।
15. **लवणीय जल :** 25^०से. पर 2500 μ सीमेंस / सेमी की अधिक लवण की मात्रा वाला जल ।
16. **जल तालिका प्रतिछेदन :** खनन या अन्य गतिविधियों के कारण ऊपरी सामग्री की खुदाई के परिणामस्वरूप जल तालिका का प्रतिछेदन
17. **पेय और घरेलू उपयोग:** पेय और घरेलू उपयोग के अतिरिक्त , इस श्रेणी में उद्योगों की पेय आवश्यकता को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता शामिल नहीं है; अस्पतालों, होटलों, मॉल और मल्टीप्लेक्स, संस्थानों, कार्यालयों, भोज के हॉल, फायर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाहों, स्टेडिया इत्यादि के मामले में पेय, धुलाई, सफाई का उपयोग इत्यादि।
18. **पुनः चक्रण / पुनः उपयोग:** विभिन्न प्रयोजनों/ जल के कई उपयोगों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग ।
19. **सरकारी विभाग:** केंद्र या राज्य।
20. **नगर पालिका:** नगर पालिका, नगर निगम या किसी अन्य नाम से स्थानीय शहरी शासन निकाय।
21. **भूजल:** जल जो कि सतह के नीचे संतृप्ति क्षेत्र में मौजूद हैं तथा कुओं या किसी अन्य माध्यम से जिनका निष्कर्षण किया जा सकता है अथवा जो धाराओं और नदियों में स्पिंग्स और आधार प्रवाह के रूप में उभरता है।
22. **बीजीएल:** भूतल स्तर से नीचे
23. **बीसीएम:** बिलियन घन मीटर।
24. **भूजल निष्कर्षण संरचना:** ऐसी संरचना जो भूजल के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त होती है यथा बोरवेल/ डग वेल/ नल कूप/ डग सह बोर वेल / टनल वेल ।
25. **प्रेक्षण कूप अथवा पीजोमीटर :** ऐसा बोर वेल / ट्यूब वेल जिसका उपयोग केवल जल स्तर / पिजोमेट्रिक शीर्ष के मापन के लिए और आवधिक रूप से जल के नमूने एकत्र करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग भूजल निष्कर्षण के लिए नहीं किया जाता है।
26. **जल लेखा परीक्षा:** जल के उपयोग को कम करने और अन्यथा अनावश्यक जल उपयोग की लागत को कम करने के उद्देश्य से सरल या जटिल प्रणालियों में जल उपयोग को मापने की एक विधि।
27. **भूजल प्रदूषण:** यदि भूजल में किसी भी पैरामीटर की सघनता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित पेयजल के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा से अधिक है।
28. **सहकारी समूह आवास समिति / बिल्डर फ्लैट्स:** किसी आवासीय परिसर के भीतर घर मालिकों द्वारा गठित एक हाउसिंग सोसाइटी को औपचारिक रूप से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

अनुलग्नक III

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण

18/11, जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011

फोन -23383824 फैक्स- 23382051, 23386743, ई-मेल: cgwa@nic.in

रक्षा / अर्धसैनिकसशस्त्र सेना / सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों द्वारा भू जल निकासी पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. संगठन का नाम _____

मालिक / किरायेदार / अधिकृत / अन्य (कृपया उल्लिखित करें) _____

2. संगठन का पता _____

11. प्रत्येक प्रस्तावित ट्यूबवेल / बोरवेल / डगवेल का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें और संलग्नक के रूप में संलग्न करें।

| निर्देशांक के साथ स्थान | निर्माण का उद्देश्य/वर्ष | बेधन की गहराई (मीटर में) | व्यास(मि मी) | भूजल स्तर की गहराई (भू स्तर के नीचे मीटर में) | निस्सरण (लीटर / घंटा) | परिचालन घंटे/ दिन | परिचालन दिन/ वर्ष | खींचने का साधन और पंप की अश्व शक्ति | क्या सीजीडब्ल्यूए से अनुमति मिली है/ पंजीकृत है। यदि हाँ तो विवरण दें |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | |

12. क्या आपने पहले ट्यूबवेल / बोरेवेल / डगवेल से भूजल निकासी के लिए एनओसी के लिए आवेदन किया था: हां या नहीं (यदि हां, तो कृपया स्थिति के साथ विवरण दें)

13. क्या वर्षा जल संचयन प्रणाली प्रदान की गई है: हां या नहीं

(क) यदि हां, तो पुनर्भरण क्षमता और संरचना के विवरण का उल्लेख करें

(ख) यदि नहीं, तो प्रस्तावित वर्षा जल संचयन योजना और समय सीमा का उल्लेख करें

14. क्या अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र मौजूद है: हां या नहीं

(क) यदि हां, पुनचक्रित पानी की क्षमता और प्रस्तावित उपयोग _____

(ख) चालू किया गया / क्रियाशील

हां या नहीं

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्तावित कार्य योजना और समय सीमा का उल्लेख करें

वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण / जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

- 1) मैं एकजल का मीटर स्थापित करने के लिए सहमत हूँ और जल की मासिक निकासी के रिकॉर्ड को रखूंगा। मैं सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से भूजल निकासी की रीडिंग लेने की अनुमति देता हूँ।
- 2) मैं अवलोकन कूप (पीज़ो मीटर) बनाने और डी डब्लू एल आर स्थापित करने के लिए सहमत हूँ।
- 3) मैं अप्रैल / मई माह के दौरान वार्षिक आधार पर भूजल गुणवत्ता विश्लेषण करने के लिए सहमत हूँ।
- 4) मैं वार्षिक आधार पर सीजीडब्ल्यूवी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भूजल निकासी, भूजल स्तर और गुणवत्ता डेटा जमा करने के लिए सहमत हूँ।

संलग्नकों की सूची:

आवेदक के हस्ताक्षर (दिनांक और मुहर के साथ)

अनुलग्नक IV**पीजोमीटर के संस्थापन और भूजल स्तर एवं उसकी गुणवत्ता की मानीटरिंग हेतु दिशा निर्देश**

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है, जिसका उपयोग एक टेप/साउंडर को लोअर करके अथवा स्वचालित / डिजिटल जल स्तर मापन उपस्कर द्वारा जल स्तर को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आवश्यकतानुसार जल गुणवत्ता की जाँच के लिए जल के नमूने संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। पीजोमीटर संस्थापन हेतु सामान्य दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं।

- पीजोमीटर का संस्थापना/ निर्माण भूजल निकासी के लिये लगाए जा रहे पंपिंग कूप से न्यूनतम पचास मीटर की दूरी पर किया जाए। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" तक होना चाहिए।
- भूजल निकासी के लिए लगाए जा रहे पंपिंग कूप और पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए। यदि विभिन्न गहराइयों पर एक से अधिक पंपिंग कूप लगाया गया है तो विभिन्न जलभृतों एवं पंपिंग कूप में एक से अधिक पीजोमीटर के निर्माण की आवश्यकता होगी।
- पीजोमीटर में जल स्तर का मापन तब ही किया जाए जब आस-पास के ट्यूबवेल से पंपिंग का कार्य रोके हुए लगभग चार से छः घंटे का समय हो चुका हो।
- वर्ष में एक बार मानसून पूर्व (अप्रैल/मई) की अवधि के दौरान उद्योगों एवं भूजल निकालने वाली खानों द्वारा भूजल गुणवत्ता की मानीटरिंग की जाए। भूजल के नमूनों की जाँच एनबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से की जाए।
- मानक संदर्भ तथा पहचान के लिए पीजोमीटर की अवस्थिति/पीजोमीटर ट्यूबवेल की संख्याटेप की गई गहराई और जोन की जानकारी के लिए पीजोमीटर / ट्यूबवेल में स्थायी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा तथा मापन की उपलब्धता हेतु अन्य क्षेत्र विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अनुलग्नक-V

छोटे बच्चों का परित्यक्त बोर कूपों और नलकूपों में गिरने के कारण होने वाली घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों के संबंध में वर्ष 2009 की सिविल रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय का आदेश

**भारत के उच्चतम न्यायालय में
सिविल मूल क्षेत्राधिकार
रिट याचिका (सी) सं. 2009 का 36**

के विषय में:

छोटे बच्चों के परित्यक्त बोर वेल और ट्यूब वेल में गिरने के कारण होने वाले घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय
भारत सरकार एवं अन्य . वादी

निर्णय

इस न्यायालय द्वारा सामान्य संशोधन सहित दिनांक 11 फरवरी 2010 के आदेश द्वारा जारी वांछित दिशा निर्देशों के पश्चात इस रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

वह संशोधन निम्नलिखित है:

- (i) भूमि / परिसर के मालिक बोर वेल / ट्यूब वेल के निर्माण के लिए कोई कदम उठाने से पहले बोर वेल / ट्यूब वेल के निर्माण के संबंध में उस क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों यथा जिला कलैक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / ग्राम

- पंचायत के सरपंच / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी / भूजल विभाग / जन स्वास्थ्य / नगर निगम के संबन्धित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से लिखित रूप में सूचित करेंगे।
- (ii) सभी ड्रिलिंग एजेंसियों नामतः सरकारी / अर्ध सरकारी, निजी इत्यादि का जिला प्रशासन / वैधानिक प्राधिकरण के साथ पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए।
- (iii) निर्माण के समय निम्नलिखित विवरणों के साथ कुएं के पास साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए:
- (क) निर्माण / पुनर्वास के समय ड्रिलिंग एजेंसी का पूरा पता।
- (ख) कूप के प्रयोक्ता एजेंसी / मालिक का पूरा पता।
- (iv) कूप के निर्माण के दौरान कुएं के चारों ओर कांटेदार तार बाड़ या अन्य उपर्युक्त बाड़ का लगाना।
- (v) कूप के चारों ओर 0.50x0.50x0.60 मीटर (भूतल से 0.30 मीटर ऊपर और भूतल से 0.30 मीटर नीचे) सीमेंट / कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण।
- (vi) वेल्डिंग स्टील प्लेट द्वारा कूप असेंबली की कैपिंग या बोल्ट और नट्स के साथ आवरण पाइप से एक मजबूत ढक्कन उपलब्ध करना।
- (vii) पंप की मरम्मत के मामले में, ट्यूब वेल को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
- (viii) कार्यों के पूरा होने के बाद मिट्टी के गड्ढे और चैनल भरना।
- (ix) परित्यक्त बोर वेल को मिट्टी / रेत / पत्थरों / कंकड़ / ड्रिल के टुकड़े आदि द्वारा नीचे से भूतल तक भरना।
- (x) किसी विशेष स्थान पर ड्रिलिंग परिचालनों का कार्य पूर्ण होने पर उस स्थान पर पूर्ववत स्थिति बहाल की जानी चाहिए।
- (xi) जिला कलेक्टर को यह सत्यापित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है और संबंधित राज्य / केंद्र सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बोर होल / ट्यूब वेल की स्थिति के बारे में उचित निगरानी जांच की जा रही है।
- (xii) वेधन किए गए बोर वेल / ट्यूब वेल की जिला / ब्लॉक / ग्रामवार स्थिति जैसे उपयोग में लाये जा रहे कूपों की संख्या, परित्यक्त बोर वेल की संख्या / पाये गए खुले कूप की संख्या, परित्यक्त बोर वेल / भूतल तक समुचित रूप से भरे गए ट्यूब वेल की संख्या तथा परित्यक्त बोर वेल / ट्यूब वेल की शेष संख्या जिन्हें जिला स्तर पर रख रखाव करते हुए भूतल स्तर तक भरा जाना है आदि सूचनाओं कारखरखाव जिला स्तर पर किया जाएगा।
- ग्रामीण इलाकों में, उपरोक्त की निगरानी ग्राम सरपंच और कृषि विभाग के कनिष्ठ अभियंता और कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से की जानी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों के मामले में उपरोक्त की निगरानी भूजल / जन स्वास्थ्य / नगर निगम आदि के संबंधित विभाग के कनिष्ठ अभियंता और कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से की जानी चाहिए।
- (XIII) यदि किसी भी स्तर पर बोर वेल / ट्यूब वेल को 'परित्यक्त' कर दिया गया है, तो संबंधित भूजल विभाग / सार्वजनिक स्वास्थ्य / नगर निगम / निजी ठेकेदार आदि से उपर्युक्त एजेंसियों द्वारा इस संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि परित्यक्त बोर वेल / ट्यूब वेल को भूतल स्तर तक समुचित रूप से भर दिया गया है। संबंधित एजेंसी / विभाग के कार्यकारी अधिकारी द्वारा परित्यक्त बोरवेल का औचक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी ऐसे डेटा पर जानकारी राज्य के जिला कलेक्टर / ब्लॉक विकास कार्यालय में रखी जानी चाहिए।

हमें यह सूचित किया गया है कि दिनांक 11 फरवरी 2010 के पूर्व के आदेश के अंतिम अनुच्छेद के अनुसार प्रचार से संबंधित विषय की समूचित अनुपालना सुनिश्चित कर ली गई है।
उपरोक्त विचारधीन रिट याचिका का निपटान किया जाता है

.....मुख्य न्यायाधीश,

[एस एच कपाडिया]

.....न्यायाधीश

[के एस राधाकृष्णन]

.....न्यायाधीश

[स्वतंत्र कुमार]

नई दिल्ली,

6 अगस्त, 2010

अनुलग्नक-VI

अवसंरचना परियोजनाओं की निर्देशात्मक सूची

| |
|---------------------------------------|
| आवासीय अपार्टमेंट |
| आवासीय नगर |
| कार्यालय भवन |
| स्कूल |
| कालेज |
| यूनिवर्सिटी |
| औद्योगिक क्षेत्र (पेय उपयोग) |
| एसईजेड (पेय उपयोग) |
| मैट्रो स्टेशन |
| रेलवे स्टेशन |
| बस डिपो |
| एयरपोर्ट |
| समुद्रीपोर्ट |
| राजमार्ग अवसंरचना |
| अग्निशमन केंद्र |
| गोदाम |
| बिजनेस प्लाजा |
| मॉल एवंमल्टीप्लेक्स |
| अस्पताल |
| नर्सिंग होम |
| वाटर पार्क/थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क |

| |
|------------------------------|
| रिसार्ट |
| होटल/रेस्टोरेण्ट/ फूड प्लाजा |
| हॉलिडे होम/गेस्ट हाउस |
| बैंकट हाल/मैरिज गार्डन |
| आईटी काम्प्लैक्स |
| लोजिस्टिक्स एवं कार्गो |
| क्लब |
| व्यापार केंद्र |

अनुलग्नक-VII

**पेय एवं घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता का आकलन
(स्रोत : राष्ट्रीय भवन कोड 2016, बीआईएस)**

क) आवासीय भवन :

| आवास | जनसंख्या |
|--------------------|----------|
| 1 बेडरूम | 4 |
| 2 बेडरूम | 5 |
| 3 बेडरूम | 6 |
| 4 कमरा या उससे ऊपर | 7 |

नोट :

- 1) उपरोक्त आंकड़ों में सहायता कार्मिकों सहित घरेलू कुटुंब शामिल है, जहां लागू हो।
- 2) प्लोटेड विकास के लिए घरेलू कुटुंब इकाई की संभावित संख्या और प्रकार को ध्यान में रखकर जनसंख्या की गणना की जाए।
- 3) ईडबल्यूएस वर्ग के तहत आवासीय इकाई में चार लोगों की आवश्यकता तथा स्टुडियो अपार्टमेंट में 2 लोगों की आवश्यकता होगी।

सामान्य नियम के अनुसार घरेलू और गैर घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निम्नलिखित दर लागू होंगी :

क) 20,000 तक की जनसंख्या वाले समुदाय के लिए :

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 1) | स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल आपूर्ति : | 40 एलपीएचडी (न्यूनतम) |
| 2) | घरेलू सेवा के माध्यम से जल आपूर्ति : | 70 to 100 एलपीएचडी |

ख) पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली के साथ 20,000 से 10,000 की जनसंख्या वाले समुदाय के लिए: 100 से 135 एलपीएचडी

ग) पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली के साथ 100,000 से अधिक की जनसंख्या वाले समुदाय के लिए: 150 से 200 एलपीएचडी

नोट—मौजूदा परिस्थिति और जल की उपलब्धता के आधार पर प्रति व्यक्ति दिये गए 150 से 200 लीटर जल आपूर्ति की दर को माध्यम आय समूह (एमआईजी) और निम्न आय समूह (एलआईजी) और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के घरों के लिए जल आपूर्ति को कम कर 135 प्रति लीटर प्रति व्यक्ति किया जा सकता है।

आवास के अतिरिक्त इमारतों के लिए जल आवश्यकताएं

| क्रम सं. | भवन का प्रकार | घरेलू प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर | प्रति व्यक्ति प्रति दिन फ्लशिंग लीटर | प्रति व्यक्ति प्रति दिन कुल लीटर की खपत |
|----------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | कैंटीन सहित कारखाने जहां स्नान कक्ष उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है | 30 | 15 | 45 |
| 2. | कैंटीन सहित कारखाने जहां स्नान कक्ष उपलब्ध नहीं कराए जाने की आवश्यकता है | 20 | 10 | 30 |
| 3. | अस्पताल (कपड़े धोने और रसोई को छोड़कर): ए) विस्तारों की संख्या 100 से अधिक नहीं है बी) 100 से अधिक विस्तारों की संख्या सी) बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) | 230 | 110 | 340 |
| | | 300 | 150 | 450 |
| | | 10 | 5 | 15 |
| 4. | नर्स छात्रावास और चिकित्सा आवास | 90 | 45 | 135 |
| 5. | छात्रावास | 90 | 45 | 135 |
| 6. | कपड़े धोने, रसोईघर कर्मचारियों और जल निकायों को छोड़कर होटल (3 सितारा तक) | 120 | 60 | 180 |
| 7. | कपड़े धोने, रसोईघर कर्मचारियों और जल निकायों को छोड़कर होटल (4 सितारा और ऊपर) | 260 | 60 | 320 |
| 8. | कार्यालय (कैंटीन सहित) | 25 | 20 | 45 |
| 9. | रसोईघर के लिए जल की आवश्यकता सहित रेस्तरां और फूड कोर्ट : ए) रेस्टोरेंट बी) फूड कोर्ट | 55 प्रति सीट | 15 प्रति सीट | 70 प्रति सीट |
| | | 25 प्रति सीट | 10 प्रति सीट | 35 प्रति सीट |
| 10. | क्लब हाउस | 25 | 20 | 45 |
| 11. | स्टेडियम | 4 | 6 | 10 |
| 12. | सिनेमा, संगीत कार्यक्रम हॉल एवं थिएटर और मल्टीप्लेक्स | 5 प्रति सीट | 10 प्रति सीट | 15 प्रति सीट |
| 13. | स्कूल / शैक्षणिक संस्थान: ए) बोर्डिंग सुविधाओं के बिना बी) बोर्डिंग सुविधाओं के साथ | 25 | 20 | 45 |
| | | 90 | 45 | 135 |
| 14. | खरीदारी और खुदरा (मॉल) a) कर्मचारी b) आगंतुकों | 25 | 20 | 45 |

| | | | | |
|-----|---|----|----|----|
| 15. | यातायात टर्मिनल स्टेशन क) हवाई अड्डे | 40 | 30 | 70 |
| | ख) स्नान सुविधा के साथ रेलवे स्टेशन (जंक्शन) | 40 | 30 | 70 |
| | ग) स्नान सुविधा के बिना रेलवे स्टेशन (जंक्शन) | 30 | 15 | 45 |
| | घ) स्नान सुविधा के साथ रेलवे स्टेशन (इंटरमीडिएट) | 25 | 20 | 45 |
| | ड.) स्नान सुविधा के बिना रेलवे स्टेशन (इंटरमीडिएट) | 15 | 10 | 25 |
| | च) अंतरराज्यीय बस टर्मिनल | 25 | 20 | 45 |
| | छ) अंत राज्यीय बस टर्मिनलों / मेट्रो स्टेशन | 10 | 5 | 15 |

प्रति व्यक्ति प्रति दिन 150 से 200 लीटर में से 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन को फ्लशिंग आवश्यकताओं तथा शेष मात्रा को अन्य घरेलू उपयोगों के लिए निर्धारित माना जाए।

नोट

1. आगंतुकों की जल की मांग की गणना करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन खपत 15 लीटर माना जाए।
2. जल की माँग में रोगियों, परिचारकों, आगन्तुकों और स्टाफ की आवश्यकता शामिल है। रसोई, लांडरी और क्लिनिकल जल की अतिरिक्त माँग की गणना वास्तविक आवश्यकता के अनुसार की जाएगी।
3. व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण केन्द्रों द्वारा संचालित यात्रियों की औसत संख्या से की जाएगी, इसमें इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले स्टाफ और विक्रेताओं का उपयुक्त ध्यान रखा जाएगा।
4. मौसमी औसत आवश्यकताओं के लिए विचार दिया जाना चाहिए।
5. अस्पतालों को श्रेणी ए (25 से 50 बिस्तर), श्रेणी बी (51 से 100 बिस्तर), श्रेणी सी (101 से 300 बिस्तर), श्रेणी डी (301 से 500) और श्रेणी ई (501 से 750 बिस्तर) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

अनुलग्नक-VIII

एनओसी प्राप्त करने के हेतु भूजल विज्ञान रिपोर्ट की रूपरेखा

1. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण जिसमें अवस्थिति विवरण, निर्देशांक जिसमें परियोजना क्षेत्र का सीमांकन करते हुए गूगल/स्थलाकृति नक्शा आदि।
2. परियोजना क्षेत्र तथा उसके आसपास की भूजल स्थिति सहित जलस्तर तथा गुणवत्ता आंकड़ा और गुणवत्ता मुद्दों सहित नक्शा,। यदि कोई हों। खनन के मामले में फोटो एवं बफर जोन से भूजल स्थिति का विवरण दिया जाये।
3. निर्माण के लिए प्रस्तावित नलकूप/बोरकूप का विवरण। इनमें वेधन गहराई, व्यास, अनुमानित लिथोलॉजीकल लॉग, लगाए जाने वाले पंप का विवरण, पंप की हार्स पावर, नलकूप/बोरकूप द्वारा अनुमानित निकासी आदि शामिल है। साइट योजना/ मानचित्र में अंकित की जाने वाली अवस्थिति / प्रस्तावित पीजोमीटर की अवस्थिति

4. परियोजना क्षेत्र में तथा उसके आसपास किये गये भूभौतिक अध्ययनों का विवरण। परियोजना क्षेत्र के ब्लॉक के भूजल संसाधनों की गणना।
5. खनन के मामले में अनुमोदित खनन प्लान तथा डी. वाटरिंग प्लान का विवरण।
6. खनन/अवसंरचना विजलन परियोजनाओं के मामले में पंप किये गये जल का प्रस्तावित उपयोग।
7. जोखिम को दर्शाते हुए तथा प्रस्तावित प्रबंधन कार्यनीति से किसी भी उल्लेखनीय पर्यावरणीय मामलों के निष्कर्ष को दर्शाता परियोजना क्षेत्र में तथा उसके आसपास के क्षेत्र के भूजल पर प्रभाव का विस्तृत आकलन।
8. लवणीय जल वाले उद्योगों द्वारा अपशिष्ट जल के निपटान के लिए प्रस्तावित उपाय
9. जल संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों जिनमें पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और उपचार आदि शामिल हैं। इनमें फर्म द्वारा अपनाए जा रहे जलतुलन चार्ट के साथ अपनाए जाने वाले जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।
 - परियोजना में मौजूदा /प्रस्तावित एसटीपी /ईटीपी /सीईपीटी की क्षमता एवं फ्लोचार्ट के साथ संक्षिप्त विवरण।
 - भूजल के उपयोग में कमी /बचत को अपनाए जाने वाले जल संरक्षण उपायों का विवरण।
 - विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल के उपयोग को दर्शाने वाला कुल जल संतुलन चार्ट।
10. परियोजना से संबंधित अन्य कोई विवरण।

अनुलग्नक-IX

उद्योगों द्वारा वार्षिक जल लेखा परीक्षण (स्रोत: सीआईआई)

जल लेखा परीक्षण प्रणाली और वह क्षेत्र जहाँ इसका उपयोग तथा अंतिम निस्सरण होना है, के माध्यम से जल निकासी या उपचार स्थल द्वारा जल के बहाव के मापन द्वारा जलतुलन को उद्देश्य परक रूप से प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। जल लेखा परीक्षण की प्रक्रिया में जलतुलन की गणना, जल उपयोग तथा जल बचत के लिए उपायों की पहचान शामिल है।

जल लेखा परीक्षण में प्राथमिक जल सर्वेक्षण तथा विस्तारित जल लेखा परीक्षण शामिल हैं। प्राथमिक जल सर्वेक्षण गतिविधियों, जलखपत एवं जल निकासी पैटर्न और जल के बिलिंग, दर तथा जल अधिभार से संबंधित आधारभूत सूचना एकत्र करने के लिए कराया जाता है।

उद्योगों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात विस्तृत जल लेखा परीक्षण कराया जाता है। जिनमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं।

- सुविधा प्रबंधक और कर्मियों के साथ साइट प्रशिक्षण और चर्चा
- जल प्रणाली विश्लेषण • बेसलाइन जल मानचित्र का मात्राकरण
- दबाव और प्रवाह मीटर और विभिन्न अन्य उपकरणों का उपयोग कर निगरानी और माप
- अक्षमता और रिसाव की मात्रा
- जल की गुणवत्ता भार और निर्वहन की मात्रा
- प्रवाह और गुणवत्ता मानकों में परिवर्तनशीलता की मात्रा
- जल उपचार और पुनः उपयोग या प्रत्यक्ष उपयोग के लिए रणनीतियां

अंततः एक विस्तृत जल संतुलन विकसित किया गया है। विभिन्न प्रयोक्ता क्षेत्रों में जलगुणवत्ता की आवश्यकता का आकलन किया जाता है, जो पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग की संभावनाओं को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है।

विस्तृत जल लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं।

- जल की खपत और अपशिष्ट जल उत्पादन पैटर्न
- विशिष्ट जल उपयोग और संरक्षण
- सुविधा का सम्पूर्ण जल संतुलन
- जल बचत के अवसर
- प्रस्तावों को लागू करने का तरीका
- पूर्ण विवरण और आंकड़े
- निवेश की आवश्यकता

जलसंरक्षण के लिए उद्योग द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:

- जल बजट के लिए मानदंडों की स्थापना
- जल की खपत को कम करने के लिए औद्योगिक प्रक्रिया का आधुनिकीकरण
- पुनः परिसंचरण शीतलन प्रणाली के साथ जल पुनर्नवीनीकरण • पारंपरिक रासायनिक उपचार की तुलना में ओजोनेशन कूलिंग वॉटर दृष्टिकोण जिसके परिणामस्वरूप ब्लो डाउन में पांच गुना कमी हो सकती है
- कुछ प्लेनम फ्लश को खत्म करके डी-आयनीकृत जल के पुनः उपयोग में कमी, निरंतर प्रवाह से एक अंतराल प्रवाह प्रणाली में परिवर्तित करने और उपयोग पर नियंत्रण में सुधार
- बागवानी के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग करें
- निपटान के मानदंडों का पालन करने के लिए प्रदूषक का उचित प्रसंस्करण ।

अनुलग्नक-X

प्रदूषण कारक उद्योगों/ परियोजनाओं के संयंत्र परिसर में प्रदूषण की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय।


यह देखा गया है कि प्रदूषित उद्योगों जैसे चर्म उद्योग, बूचड़ खाना, रंगाई, रासायनिक, कोयला सफाई अन्य जहरीली ईकाइयाँ आदि में तथा उसके आसपास का भूजल प्रदूषित है। भूजल गुणवत्ता के आगे होने वाले गिरावट को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सुनियोजित सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जाए। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों/ परियोजनाओं को निम्नलिखित उपायों को अपनाने के निर्देश दिये जाते हैं।

1. प्रसंस्करण ईकाई के आसपास कोई भी नलकूप/ बोरकूप/डगकूप का निर्माण नहीं किया जाए। नलकूप/बोरकूप का निर्माण उस स्थान पर किया जाए जो स्वच्छ रूप से अनुरक्षित है।
2. संरचना/ के सिंग के लिए केवल माइल्ड स्टील पाइप का उपयोग होना चाहिए पीपीसी (पोली विनाइल क्लोराइड) या इसी प्रकार के पाइप का उपयोग नहीं होना चाहिए। पीवीसी या इसी प्रकार के पाइप वाले नलकूप/बोरकूप का परित्याग कर उसे वापस भर देना चाहिए।
3. नलकूप/बोरकूप के आसपास 3 मीटर (लंबा) x 3 मीटर (चौड़ा) x 2 मीटर (गहराई) आरसीसी (रिइन्फोर्स कंक्रीट सीमेंट) किया जाना चाहिए। नलकूप का पाइप भूतल से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। नलकूप/बोरकूप 0.5 मी. ऊंचा तथा 1.5 मीटर गहरा आरसीसी दिवार से घिरा होना चाहिए ताकि सतही संदूषण के नलकूप/बोरकूप में प्रवेश को रोका जा सके। प्लान/सेक्शनल डायग्राम संदर्भ के लिए संलग्न है। (परिशिष्ट 1 एवं 2)

4. केवल भूजल की निकासी के लिए विशेष रूप से उपयोग करने हेतु नलकूप/बोरकूप निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए नलकूप/बोरकूप एनआरवी (नान रिटर्न वाल्व) से जुड़ा होना चाहिए।
5. किसी भी समय निर्मित नलकूप/ बोरकूप/ पीजोमीटर में किसी जल या तरल का कोई प्रवेश नहीं होना चाहिए
6. संयंत्र परिसर के भीतर किसी पुनर्भरण उपायों को इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों/परियोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए।
7. एसटीपी (सिवेज उपचार संयंत्र) या के आसपास कोई भी नलकूप/बोरकूप अवस्थित निर्मित नहीं होने चाहिए ईटीपी (बहाव उपचार संयंत्र) को छोड़ देना और भर देना चाहिए।
8. मॉनीटरिंग उद्देश्य के लिए निर्मित पीजोमीटर को भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो ऐसे उद्योगों/परियोजना के लिए नलकूप/बोरकूप के लिए है।
9. भूजल प्रदूषण के संबंध में सीपीसीबी / एसपीसीबी के मानदंडों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त एनओसी को भी रद्द किया जा सकता है।


परिशिष्ट 1

बेल हेड प्रोटेक्शन को दर्शाते हुए योजना/सेक्शनल डायग्राम



परिशिष्ट - 2

बेल हेड प्रोटेक्शन को दर्शाते हुए योजना/सेक्शनल डायग्राम



अनुलग्नक- XI

एनओसी के नवीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालना रिपोर्ट का प्रपत्र

राज्य /संघ राज्य भूमि जल प्राधिकरण (जीडब्ल्यूए) से एनओसी की प्राप्ति के बाद नवीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानेवाली अनुपालन रिपोर्ट

1. परियोजना का संक्षिप्त विवरण, फोटो सहित यदि कोई हो
2. स्थान का विवरण, निर्देशांक, गूगल/टॉपशीट मानचित्र आदि परियोजना क्षेत्र का आकलन
3. एनओसी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन
4. एनओसी के अनुसार निर्मित ट्यूबवेल/बोरवेल का विवरण, स्थान योजना /मानचित्र पर स्थान चिह्नित किये जाए।
मौजूदा/निर्मित ट्यूबवेल/बोरवेल के फोटोग्राफ संलग्न किए जाएं।

| क्रम सं. | मद | निकासी संरचनाओं का विवरण |
|----------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | ट्यूबवेल/बोरवेल/डगवेल की संख्या | |
| 2 | कुल भूजल निकासी (घनमी./दिन | |

5. फर्म द्वारा निर्मित कुओं पर डिजिटल जल मीटर की तस्वीरें। भूजल निकासी की मात्रा का उल्लेख करते हुए मासिक आंकड़ें

| क्र. सं | माह | माह के पहले दिन मीटर रीडिंग | माह के आखिरी दिन मीटर रीडिंग | माह के दौरान जल रीडिंग | प्रतिदिन औसत जल की खपत (घनमी. प्रतिदिन) |
|---------|-----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | |

परियोजना क्षेत्र के भीतर निर्मित ट्यूबवेल/बोरवेल और पीजोमीटर से अप्रैल/ मई के दौरान एकत्र किए गए नमूने के भूजल गुणवत्ता आंकड़े।

6. परियोजना क्षेत्र के भीतर निर्मित पीजोमीटर के लिए मासिक जल स्तर डेटा।
7. पुनर्चक्रण, पुनःउपयोग, उपचार इत्यादि सहित जल संरक्षण के लिए फर्म द्वारा अपनाए गए उपाय। इसमें फर्म द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण विधियों के विवरण के साथ फर्म द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण विधियों के विवरण के साथ फर्म द्वारा अपनाई गई बैलेंस चार्ट आदि और इनके फोटोग्राफ शामिल हैं।
 - परियोजना के भीतर मौजूद एसटीपी/ईटीपी/सीईटीपी की क्षमता और प्रवाह चार्ट के साथ संक्षिप्त विवरण
 - भूजल उपयोग को कम करने/ इसके संचयन के लिए अपनाए गए जल संरक्षण उपायों का विवरण।
 - विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल के उपयोग को दर्शाता जल संरक्षण चार्ट
 - कार्यान्वित किए गए एसटीपी/ईटीपी की तस्वीरों सहित इनका इष्टतम उपयोग
8. मॉनिटरिंग अनुसूची के साथ डिजाइन, व्यास, गहराई, लिथोलॉजी के साथ पीजोमीटर की स्थापना (फोटोग्राफ सहित)

| क्रम सं. | विवरण | पीजेड-1 | पीजेड-2 | पीजेड-3 |
|----------|--|---|---------|---------|
| 1 | स्थान | अवस्थिति को दर्शाते हुए लेआउट योजना सहित निर्देशांक | | |
| 2 | गहराई (मी.) | | | |
| 3 | मानिट्रिंग कार्यक्रम | | | |
| 4 | डबडब्ल्यूएलआर के साथ पीजोमीटर के फोटोग्राफ | | | |

9. राज्य/संघ राज्य भूमि प्राधिकरण से एनओसी की प्रति
10. जल लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
11. जल लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में यथानिर्धारित सिफारिशों का अनुपालन
12. एनओसी के अनुपालन से संबंधित कोई अन्य ब्यौरा।

[फा. सं. 24011/6/2018-जीडब्ल्यू]

के. सी. नायक, अध्यक्ष

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2018

S.O. 6140(E).—WHEREAS, on the directions of Hon'ble Supreme Court vide its order dated the 10th December, 1996 in Civil writ Petition No. 4677 of 1985, M.C. Mehta Vs Union of India, the Central Government constituted the Central Ground Water Authority (hereafter referred to as the 'Authority') vide notification number S.O. 38 (E), dated the 14th January, 1997 to exercise powers under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for the purposes of regulation and control of Ground Water management and development and to exercise certain powers and perform certain functions relating thereto;

AND WHEREAS, the Authority has been regulating ground water development and management by way of issuing 'No Objection Certificates' for ground water extraction to industries or infrastructure projects or mining projects etc., and framed guidelines in this connection from time to time in twenty states and three Union territories, where ground water development is not being regulated by the State Government or Union territory administration concerned;

AND WHEREAS, some of the State Governments or Union territories enacted legislations and issued regulatory directions or orders for regulating ground water development and management;

AND WHEREAS, the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi vide its order dated the 15th April, 2015 in O.A. Nos. 204/205/206 of 2014 has issued directions to the Authority to ensure that any person operating tube-well, or any means to extract ground water shall obtain permission from the Authority and shall operate the same subject to the law in force, even if such unit is existing unit or the unit is yet to be established;

AND WHEREAS, the said Hon'ble Tribunal vide its order dated the 9th July, 2015 in O.A. Nos. 34 and 37 of 2014 directed all industrial units which are members of the Common Effluent Treatment Plants (CETPs) to approach the Authority through State Pollution Control Board for registration of their bore-wells and to obtain No objection Certificate in accordance with the law;

AND WHEREAS, the aforesaid Hon'ble Tribunal vide its order dated the 13th July, 2017 in O.A. No. 200 of 2014 directed that every industry should be directed to pay for extraction of such water, that too, subject to the conditions stated in the order permitting such extraction;

AND WHEREAS, the said Hon'ble Tribunal vide its orders dated the 28th August, 2018 and 29th August, 2018 in O.A. Nos. 176 of 2015 and 59 of 2012 respectively, directed the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to forthwith review the existing mechanism so as to ensure effective steps for conserving the ground water resources;

AND WHEREAS, in pursuance of the directions of the Hon'ble National Green Tribunal and powers conferred by sub-section (3) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Authority, with a view to protect the ground water resources had circulated the draft guidelines for grant of 'No Objection Certificate' on the 11th October, 2017 inviting comments and suggestions from all stakeholders;

AND WHEREAS, all comments and suggestions received in response to the said draft guidelines have been duly considered by the Central Government;

Now therefore, in pursuance of the directions of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi and the powers conferred by sub-section (3) of section 3 read with section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Ground Water Authority hereby notifies the guidelines to regulate groundwater over-exploitation and conserve the groundwater resources in the country as per the Schedule below:

SCHEDULE
Guidelines to regulate and control Ground Water Extraction
in India

INDEX

| ITEM | Page No. |
|---|----------|
| 1. Background | 36 |
| 2. Guidelines to regulate and control Ground Water Extraction in India | 37 |
| 2.1. Exemptions..... | 37 |
| 2.2. Drinking & Domestic use | 37 |
| 2.2.1. Individual households | 37 |
| 2.2.2. Infrastructure projects/ industries/ Mining Projects/ Public water supply agencies / Others requiring water only for drinking & domestic use..... | 38 |
| 2.3. Industrial/ Mining/ Infrastructure Projects..... | 39 |
| 2.3.1 Industries | 39 |
| 2.3.2 Mining projects | 40 |
| 2.3.3 Infrastructure projects requiring dewatering or use of ground water for construction | 41 |
| 2.4. Agricultural Sector | 42 |
| 2.5. Abstraction of saline ground water/ contaminated ground water | 42 |
| 2.6. Water Conservation Fee (WCF)..... | 42 |
| 2.7. Change in land/ water Use | 43 |
| 2.8. Other conditions (Applicable for all cases):..... | 44 |
| 2.9. Renewal of NOC | 44 |
| 2.10. Extension of NOC..... | 44 |
| 3. Processing Fee..... | 44 |
| 4. Relaxation..... | 44 |
| 5. Delegation of powers to monitor compliance of NOC conditions | 45 |

ANNEXURES

- Annexure I: List of States/ Union Territories where ground water development is being regulated by CGWA
Annexure II: Glossary of technical terms used

| | |
|----------------|--|
| Annexure III: | Proforma for submission of information regarding ground water abstraction by Defence/ Paramilitary/ Army Establishments and Govt. Water Supply Agencies |
| Annexure IV: | Guidelines for installation of piezometers and monitoring of groundwater levels and quality |
| Annexure V: | Supreme Court Order in Civil Writ petition 36 of 2009 regarding measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells |
| Annexure VI: | Indicative list of Infrastructure projects |
| Annexure VII: | Estimation of water requirements for drinking and domestic use. |
| Annexure VIII: | Outline of hydrogeological report for obtaining NOC |
| Annexure IX: | Annual water audits by the Industries |
| Annexure X: | Measures to be adopted to ensure prevention from pollution in the plant premises of polluting industries/ projects |
| Annexure XI: | Outline of compliance report to be submitted with applications for renewal of NOC |

Government of India
CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY
Ministry of Water Resources, RD & GR
Jamnagar House, Mansingh Road, New Delhi 110011

Guidelines to regulate and control Ground Water Extraction in India
(With effect from 01.06.2019)

1. Background

Central Ground Water Authority (CGWA), constituted by the Government of India vide notification No. S.O. 38(E) dated 14.01.1997 under sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), in pursuance of the Order of the Hon'ble Supreme Court of India in I.A. No. 32 in W.P. (C) No. 4677 of 1985, has been regulating ground water development and management in the country. The Authority has been vested with the following powers:

- (i) Exercise of powers under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for issuing directions and taking such measures in respect of all the matters referred to in sub-section (2) of section 3 of the said Act.
- (ii) To resort to penal provisions contained in Sections 15 to 21 of the said Act.
- (iii) To regulate and control, management and development of ground water in the Country and to issue necessary regulatory directions for this purpose.
- (iv) Exercise of powers under Section 4 of the Environment (Protection) Act, 1986, for appointment of officers.

In exercise of powers conferred upon it, the Authority regulates ground water development through various means including grant of No Objection Certificates (NOCs) for abstraction of ground water and issuing advisories, directions, notifications etc. as and when necessary. The Authority has been granting NOCs for withdrawal of groundwater by new industries and those under expansion/ infrastructure/ mining projects since 1999. Central Ground Water Authority has framed guidelines for grant of NOC for withdrawal of groundwater, which have been revised from time to time. Last revision in guidelines was done in 2015 to bring existing industries/ infrastructure/ mining projects under the purview of NOC as per directions of the Hon'ble NGT vide order dated 15.04.2015 in the matter of Krishan Kant Singh Vs. M/s Deoria Paper Ltd., Hata Road, Narainpur, Deoria and other connected matters.

List of States/ Union Territories, where ground water development is being regulated by Central Ground Water Authority is given in Annexure I. The remaining States/ Union Territories are regulating ground water development through ground water legislation enacted by them or through Government Orders.

Glossary of technical terms used in the guidelines is at Annexure II. The words 'abstraction', 'extraction', 'drawal' and 'withdrawal' have been used interchangeably in this document.

2. Guidelines to regulate and control Ground Water Extraction in India

These guidelines will come into force with effect from 01.06.2019 and will supersede all the earlier guidelines issued by Central Ground Water Authority. These guidelines will have pan India applicability. The entire process of grant of NOC is done online through a web based application system of CGWA (URL will be announced later). States may suggest additional conditions/ criteria based on the local hydro geological situations which will be reviewed by CGWA before acceptance.

2.1. Exemptions

1. The following categories of users shall be exempted from obtaining NOC for ground water abstraction:
 - i. All users drawing/ proposing to draw ground water through non- energized means (bucket & rope, hand pump, mhote etc.)
 - ii. Individual households drawing/ proposing to draw ground water from a single dug well/bore well/ tube well through delivery pipe of upto 1" diameter
 - iii. Agricultural users
 - iv. Armed Forces Establishments during operational deployment or during mobilization in forward locations

The following categories of users shall be granted exemption from the requirement of NOC for ground water withdrawal, subject to submission of particulars as per the proforma (Annexure III) to CGWA.

- i. Strategic and operational infrastructure projects for Armed Forces
- ii. Defence Establishments and Paramilitary Forces Establishments
- iii. Government water supply agencies in safe and semi critical areas

The agencies mentioned under Sl. Nos. i, ii and iii shall install digital water flow meters to monitor monthly ground water abstraction, construct observation wells (piezometers) equipped with Digital Water Level Recorders (DWLR) for regular monitoring of ground water levels if the proposed ground water extraction is $> 10 \text{ m}^3/\text{day}$. Data sharing mechanism will be the same as in Section 2.3.1.VII. They will also monitor ground water quality from the abstraction structures once in a year during the month of April/ May. Guidelines for construction of piezometer are given in Annexure IV. The ground water samples collected shall be analysed at an NABL accredited laboratory. The data on ground water abstraction, ground water levels and ground water quality shall be submitted to the concerned Regional Office of Central Ground Water Board on the web portal.

2.2. Drinking & Domestic use

Request for NOC shall be considered only in cases where the water supply department / agency concerned is unable to supply adequate amount of water in the area. For granting NOC for ground water withdrawal for drinking & domestic purposes, two broad categories identified are as follows:

- a) Individual households/ connections
- b) Infrastructure projects/ industries/ mining projects/ water supply agencies/ others

2.2.1. Individual households:

Individual houses drawing/ proposing to draw ground water through more than one functional bore well/ tube well / dug well or drawing ground water through delivery pipe of more than 1" diameter from a single ground water abstraction structure shall be required to seek NOC for ground water withdrawal under this category. NOC for ground water extraction shall be granted subject to the following conditions:

- i. Application for NOC shall be accompanied by the proof of ownership of household(s).
- ii. NOC for new wells shall be granted only in such cases where public water supply system does not exist/ water supply is inadequate.
- iii. Applicant shall submit an affidavit on non judicial stamp paper of Rs. 10/- confirming non/ inadequate availability of public water supply.
- iv. The NOC shall be valid for a period of 5 years from the date of issue or till such time public water supply is provided to the household, whichever is earlier. The applicant shall apply for renewal of NOC at least 90 days prior to expiry of its validity.
- v. The user shall install digital water flow meter on the tube well/ bore well / dug well and submit the data through the web-portal
- vi. The user shall submit ground water abstraction data through the web-portal.

- vii. If the existing well becomes defunct within the validity period of NOC, the user can construct a replacement well under intimation to the Regional Director of CGWB. The defunct well shall be properly sealed as per guidelines given in Annexure V.
- viii. The owner shall implement roof top rain water harvesting as per the prevalent building bye laws. However, no recharge shall be undertaken in areas prone to water logging (water levels within 5 metres below ground level).
- ix. The owner shall pay Water Conservation Fee based on quantum of ground water extraction as applicable (Refer Sub-section 2.6).
- x. The NOC shall become void in case of change in land use of the property/ water use. It will then become mandatory for the owner to apply for fresh NOC.

2. 2. 2. Infrastructure projects/industries/ mining projects/ public water supply agencies / others requiring water only for drinking & domestic use

An indicative list of infrastructure projects to be considered under this category is given in Annexure VI. NOC for ground water withdrawal for drinking and domestic purpose only for infrastructure projects/ industry/ mining projects/ water supply agencies/ others will be granted based on the following conditions:

- I. Application for NOC shall be accompanied by the following documents:
 - i) Approval in the form of Terms of Reference/ Consent to Establish/ Consent to Operate/ License issued by the statutory bodies viz. Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC)/ State Level Expert Appraisal Committee (SEAC)/ State Level Environment Impact Assessment Authority (SLEIAA)/ State Pollution Control Board (SPCB)/ Urban/ Rural Development Authority/ Department of Industries or any other authority mandated by Central/ State Government.
 - ii) Details of water requirement computed as per National Building Code, 2016 (Annexure VII), taking into account recycling/ reuse of treated water for flushing etc. (in case of new buildings).
 - iii) Affidavit on non judicial stamp paper of Rs. 10/- by the applicant, confirming non/ inadequate availability of public water supply in case of users requiring ground water up to 10 m³/ day for drinking/ domestic use.
 - iv) Certificate of non-availability of water from government water supply agency in case of infrastructure project/ industry/ mine requiring ground water in excess of 10 m³/ day for drinking/ domestic use.
 - v) Water quality data of bore well/ tube well/ dug well in respect of existing projects from NABL accredited laboratory.
- II. Use of recycled/ treated waste water for purposes like flushing, green belt etc. shall be mandatory for new projects requiring >12.5 m³/d of ground water.
- III. NOC for new /existing wells shall be granted only in such cases where the required amount of water is not available from the public water supply system.
- IV. If the existing well becomes defunct within the validity period of NOC, the user can construct a replacement well under intimation to CGWA on web portal. The defunct well shall be properly sealed (Refer Annexure V).
- V. The proponent shall mandatorily install roof top rain water harvesting system in the project area, wherever the ground water level is deeper than 5 metres below ground level.
- VI. The proponent shall pay Water Conservation Fee based on quantum of ground water extraction as applicable (Refer Sub-section 2.6).
- VII. Installation of digital water flow meter (conforming to BIS standard) in the abstraction structure(s) shall be mandatory and intimation regarding the same shall be communicated to the CGWA within 30 days of grant of NOC through the web-portal. Monthly water meter reading shall be digitally recorded and reports of ground water abstraction shall be submitted through the web portal to CGWA.
- VIII. Construction of purpose-built observation wells (piezometers) for monthly ground water level monitoring shall be mandatory for proponents drawing/ proposing to draw 10m³/day or more of ground water. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in Annexure IV. Depth and zone of aquifer tapped in the piezometer should be commensurate with that of the pumping well.
- IX. Installation of Digital Water Level Recorders (DWLR) in the observation well shall be mandatory for projects requiring ground water from 50 to less than 500 m³/day in safe and semi critical assessment units and 20 to less than 200 m³/day in critical and overexploited assessment units. The list of safe, semi critical, critical, overexploited and saline assessment units is available at www.noc-cgwb.gov.in.
- X. For projects requiring ground water extraction of 500 m³/day or more in safe and semi critical assessment units and 200 m³/day or more in critical and overexploited assessment units, installation of DWLR with telemetry in the observation well shall be mandatory. The data server shall be maintained by the supplier of the instrument and access will be provided to CGWA through the web portal. It shall be the responsibility of the applicant to provide user ID and password to the above agency.
- XI. Monthly water level data shall be submitted to CGWA through the web portal.
- XII. All proponents shall monitor quality of ground water from the abstraction structure(s). Water samples from bore wells/ tube wells / dug wells shall be collected during April/May every year and analysed from NABL accredited

laboratories for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data shall be made available to CGWA through the web portal.

- XIII. The NOC shall be valid for a period of 5 years from the date of issue or till such time public water supply is provided to the project area, whichever is earlier.
- XIV. The proponent/ authorised representative of the occupants of the infrastructure project shall apply for renewal of NOC at least 90 days prior to expiry of its validity.

2.3 Industrial/ Mining/ Infrastructure projects

All industries/ mining/ infrastructure projects, whether existing/ new/ under expansion and drawing/ proposing to draw ground water through energized means shall need to obtain NOC for ground water withdrawal from the Central Ground Water Authority.

2.3.1 Industries

NOC to industries shall be granted only for such cases where government agencies are not able to supply the desired quantity of water. The applications for NOC shall be considered as per the criteria given below.

- I. Application for NOC shall be accompanied by the following documents:
- i) Approval in the form of Terms of Reference/ Consent to Establish/ License issued by statutory bodies viz. Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC) or State Pollution Control Board (SPCB) or State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) or State Level Environment Impact Assessment Authority (SLEIAA) or Bureau of Indian Standards (BIS) or Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) or Department of Industries or any other authority mandated by Central or State Government.
 - ii) A valid Consent to Operate issued by the Industry Department/ Pollution Control Board/ copy of application submitted for renewal of Consent to Operate.
 - iii) Certificate regarding non / partial availability of fresh water / treated waste water supply from the concerned government agency in cases where requirement of ground water is more than 10 m³/day.
 - iv) An affidavit on non judicial stamp paper of Rs. 10/- regarding non availability of water supply from government agencies in cases where ground water requirement is up to 10 m³/day.
 - v) Water quality data of bore well/ tube well / dug well in respect of existing industries from NABL accredited laboratory.
- II. Hydrogeological report prepared by NABET accredited consultant shall be mandatory for users drawing/ proposing to draw ground water to the tune of 2000 m³/day or more in safe assessment units, 1500 m³/day or more in semi critical and critical assessment units and 1000 m³/day or more in over-exploited assessment units. Pro-forma for hydrogeological report is given in Annexure VIII. Installation of digital water flow meter (conforming to BIS standard) in the abstraction structure(s) shall be mandatory and intimation of the same shall be communicated to the CGWA through the web portal within 30 days of grant of NOC.
- III. Monthly water flow meter readings shall be recorded and reports of ground water extraction shall be submitted to CGWA through the web portal.
- IV. Industries shall minimize the use of fresh ground water through recycling and reuse of waste water.
- V. All industries abstracting ground water to the tune of 500 m³/day or more in safe and semi critical and 200 m³/day or more in critical and over-exploited assessment units shall be required to undertake water audit (Annexure IX) through CII/ FICCI/ NPC certified auditors and submit report within three months of completion of the same to CGWA through the web portal. The first audit shall be done within a year of grant of NOC. Subsequent audits shall be conducted once in 3 years for Safe/ Semi critical assessment units and once in 2 years in critical/ over-exploited assessment units.
- VI. Construction of observation well(s) (piezometers) within the premises, for monthly ground water level monitoring, shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10 m³/day of ground water. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be commensurate with that of pumping well/ wells. The number of observation wells (piezometers) shall be specified in the No Objection Certificate. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in Annexure IV. Monthly water level data shall be submitted to the CGWA through the web portal.
- VII. Industries drawing/proposing to draw ground water from 50 to less than 500 m³/day in safe and semi critical assessment units and those drawing/proposing to draw 20 to less than 200 m³/day of ground water in critical and over-exploited assessment units shall install digital water level recorder (DWLR) in the observation well for continuous monitoring of ground water levels. Depth to water levels shall be monitored at 12 hour intervals and the DWLR data shall be retrieved and submitted to CGWA through the web portal.
- VIII. Industries drawing/proposing to draw ground water to the tune of 500m³/ day or more in safe and semi critical areas and 200 m³/ day or more in critical and over-exploited areas would be required to install DWLR with telemetry in the observation well for continuous monitoring of ground water levels. The server will be

- maintained by the supplier of the instrument and access shall be provided to CGWA. It shall be the responsibility of the proponent to provide User ID and password to the CGWA.
- IX. All industries shall monitor quality of ground water from the abstraction structure (s). Water samples from bore wells / tube wells / dug wells shall be collected during April/May every year and analysed from NABL accredited laboratories for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data shall be made available to CGWA through the web portal.
 - X. All industries except those falling in red and orange categories as per CPCB (list available on http://envfor.nic.in/sites/default/files/Latest_118_Final_Directions.pdf) shall implement roof top rain water harvesting within six months of grant of NOC. Recharge of harvested water shall not be permitted in areas prone to water logging (water level within 5 m.bgl).
 - XI. Industries shall deposit Water Conservation Fee (WCF) based on quantum of extraction as applicable (see Sub-section 2.6). Industries which are not able to implement roof top rain water harvesting due to likely threat of pollution or any other valid reason shall be required to pay additional water conservation fee to compensate for the quantum of water that could have been recharged by the unit.
 - XII. NOC shall be valid for a period of 3 years in safe and semi critical areas and 2 years in critical and over-exploited areas.
 - XIII. The applicant shall apply for renewal of NOC at least 90 days prior to expiry of its validity.
 - XIV. Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary measures to ensure prevention of ground water pollution (Annexure X).
 - XV. Recharge/ injection of treated/ untreated waste water within/ outside the plant premises is strictly prohibited.
 - XVI. Existing industries, which have already obtained NOC and have implemented recharge measures as specified in the NOC, shall be exempted from paying WCF. However, if the industry is going for expansion, WCF will have to be paid for the additional quantum of ground water withdrawal as per applicable rates.
 - XVII. Existing industries, which have obtained NOC and adopted pond/ ponds but have not been able to implement the specified volume of recharge due to various reasons, shall have an option to de-adopt pond/ ponds and pay WCF within six months of the effectiveness of these guidelines. If at the time of renewal it is observed that the industry has not been able to comply with the recharge condition specified in the NOC, the industry shall have to pay WCF in addition to the penalty as specified in the Environment (Protection) Act, 1986.
 - XVIII. Wherever feasible, requirement of water for greenbelt (horticulture) shall be met from recycled / treated waste water.
 - XIX. If an existing well becomes defunct within the validity period of NOC, the proponent shall construct a replacement well under intimation to the CGWA through the web portal. The defunct well shall be properly sealed (Annexure V).
 - XX. In case of change of ownership, new owner of the industry will have to apply for necessary changes in the NOC with documentary proof within 45 days of taking over possession of the premises.

2.3.2 Mining projects

All existing as well as new mining projects need to obtain NOC for mine dewatering and / or ground water withdrawal through wells, if any, from Central Ground Water Authority. NOC for abstraction of ground water shall be granted subject to the following conditions:

- I. Application for NOC shall be accompanied by the following documents:
 - i) Approval from statutory bodies viz. Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC) or State Pollution Control Board (SPCB) or State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) or State Level Environment impact Assessment Authority (SLEIAA).
 - ii) Certified mine lease map.
 - iii) Document showing ownership/ lease of land.
 - iv) Mining plan approved by the concerned Govt. agency/ department.
 - v) Comprehensive report prepared by NABET accredited consultant on ground water conditions in both core and buffer zones of the mine, depth wise and year wise mine seepage calculations, impact assessment of mining and dewatering, details of recycling, reuse and recharge, reduction of pumping with use of technology for mining and water management to minimize and mitigate the adverse impact on ground water, based on local conditions. Format for report is given in Annexure VIII.
- II. The water available from de-watering operations shall be put to gainful use such as water supply, irrigation, dust suppression, mining process etc.
- III. Installation of digital water flow meter (conforming to BIS standard) in the abstraction structure(s) shall be mandatory and intimation of the same shall be communicated to the CGWA through the web portal.
- IV. Water flow meter reading shall be digitally recorded and submitted to the CGWA through the web portal.
- V. The proponent shall have to pay WCF based on quantum of ground water extraction as applicable (see Sub-section 2.6).

- VI. Construction of observation well(s) (piezometers) within the premises along the periphery, for monthly ground water level monitoring, shall be mandatory for mines drawing/ proposing to draw more than 10 m³/day of ground water. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be commensurate with that of pumping well/ wells. The number of observation wells (piezometers) shall be specified in the No Objection Certificate. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in Annexure IV. Monthly water level data shall be submitted to the CGWA through the web portal.
- VII. Proponents drawing/proposing to draw ground water from 50 to less than 500 m³/day in safe and semi critical assessment units and those drawing/proposing to draw 20 to less than 200 m³/day of ground water in critical and over-exploited assessment units shall install digital water level recorder (DWLR) in the observation well(s) for continuous monitoring of ground water levels. Depth to water levels shall be monitored at 12 hour intervals and the DWLR data shall be retrieved and submitted to the CGWA through the web portal.
- VIII. Proponents drawing/proposing to extract ground water to the tune of 500m³/ day or more in safe and semi critical areas and 200 m³/ day or more in critical and over-exploited areas would be required to install DWLR with telemetry in the observation well for continuous monitoring of ground water levels. The server will be maintained by the supplier of the instrument and access shall be provided to CGWA. It shall be the responsibility of the proponent to provide User ID and password to CGWA.
- IX. In addition, the proponent shall monitor ground water levels by establishing key wells in the core and buffer zones as specified in the NOC.
- X. All mining units shall monitor quality of ground water from the abstraction structure(s). Water samples from bore wells/ tube wells / dug wells shall be collected during April/May every year and analysed from NABL accredited laboratories for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data shall be made available to the CGWA through the web portal.
- XI. The NOC shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of NOC.
- XII. The proponent shall apply for renewal of NOC at least 90 days prior to expiry of its validity.

2.3.3 Infrastructure projects requiring dewatering or use of ground water for construction

New infrastructure projects/ residential buildings may require dewatering during construction activity and/ or use ground water for construction. In both cases, applicants shall seek NOC from CGWA before commencement of work. The NOC will be granted subject to the following conditions:

- I. Application for NOC shall be accompanied by the following documents:
- Approval letter from statutory bodies viz. Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC) or State Pollution Control Board (SPCB) or State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) or State Level Environment impact Assessment Authority (SLEIAA) or Urban/ Rural/ Area Development Authority.
 - In cases where dewatering of more than 100 m³/ day is required, hydrogeological report prepared by NABET accredited consultant on the ground water situation in the area giving detailed plan of pumping, proposed usage of pumped water and comprehensive impact assessment of the same on the ground water regime. The report should highlight environmental risks and proposed management strategies to overcome any significant environmental issues.
 - An affidavit on non judicial stamp paper of Rs. 10/- regarding non availability of water from any other source for construction in safe and semi critical areas.
 - Certificate from the government agency regarding non availability of treated sewage water for construction within 10 km radius of the site in critical and over-exploited areas.
- II. The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting in the project premises after completion of building construction. Recharge measures shall not be implemented in areas prone to water logging (water level within 5 metres below ground level).
- III. The proponent will have to pay WCF based on quantum of ground water extraction as applicable (see Sub-section 2.6).
- IV. Proponent shall be required to carry out regular monitoring as mentioned below:

| Parameter to be monitored | Frequency | Submission to the CGWA |
|--|-------------|-------------------------|
| Dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) | Continuous | Through the web- portal |
| Water levels in the surrounding area by constructing observation wells (piezometers)in consultation with the concerned Regional Office of CGWB | Fortnightly | Through the web-portal |

Monitoring records and results should be retained by the proponent for up to two years, for inspection or reporting as required by CGWA.

V. NOC shall be valid for the specific period as per the detailed proposal submitted by the project proponent.

2.4 Agricultural Sector

Agriculture sector is the backbone of the Indian economy. Since livelihood of farmers is dependent on agriculture, they shall be exempted from obtaining NOC for ground water withdrawal from the CGWA. Concerned State Departments (Agriculture/ Irrigation/ Water Resources) shall be required to undertake suitable demand and supply side measures to ensure sustainability of ground water sources. An indicative list of demand side measures is given below:

- i) Minimize conveyance losses by adopting surface /underground pipeline system.
- ii) Promote and incentivize drip /sprinkler and other water saving irrigation methods /practices/techniques.
- iii) Promote and incentivize crop diversification to less water intensive /consuming crops.
- iv) Encourage farmers to pool their wells and try to bring in more area under cropping for protecting irrigation in selected rain-fed patches/ areas.
- v) Encourage farmers for developing on-farm water storage structures.
- vi) Adoption of water use efficiency measures for water intensive crops.
- vii) Promote conjunctive use of surface and ground water in command areas.
- viii) Promote use /reuse of treated /recycled water.
- ix) Provision for dedicated electricity feeder for agricultural pump sets and assured power for fixed hours.

2.5 Abstraction of Saline / contaminated ground water

Abstraction of saline / contaminated ground water for use by industries/ dewatering by infrastructure/ mining projects including those located in over-exploited areas would be encouraged. The list of such assessment units having saline ground water at all depths as per the latest assessment of dynamic ground water resources will be made available by the Authority in the web based application system. Packaged drinking water units shall be encouraged to be set up in quality affected areas. However, due care should be taken in respect of disposal of effluents by the units so as to protect the water bodies and the aquifers from pollution. Proposals pertaining to such cases, extracting more than 100 m³ / day, must include a detailed project report by a NABET accredited consultant elucidating the mechanism of handling the saline /contaminated/ effluent water and its various uses. All precautions must be taken for protection of environment especially fresh water aquifers in and around the area. Other conditions for granting NOC would be the same as mentioned in Section 2.3 for industries and infrastructure projects respectively. The following additional conditions shall be applicable in case of withdrawal of saline/ contaminated ground water:

- i. Withdrawal of saline/ contaminated ground water by the proponent, shall not affect the fresh water aquifers, if any, in the area.
- ii. No disposal of brine or untreated waste shall be allowed in the premises.
- iii. Samples for monitoring of water quality of the aquifer from which the saline/ contaminated water is pumped and that of the adjacent/overlying/underlying fresh water aquifers, if any, should be collected during April/ May every year and should be analysed at NABL accredited laboratory for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data should be made available to CGWA through the web portal.
- iv. In areas having saline ground water aquifers underlain/ overlain by fresh water aquifers, the application would be considered for NOC only after submission of detailed hydrogeological report including mathematical modeling study prepared by a NABET accredited consultant indicating the long term impact of ground water extraction on the ambient ground water regime of the overlying/ underlying fresh water aquifers (Refer Annexure VIII). This condition would be applicable to proponents withdrawing more than 100 m³/day of saline ground water.

2.6 Water Conservation Fee (WCF)

As per NGT order dated 13th July, 2017 in OA No. 200/2014 regarding Ganga matter, all users are required to pay for ground water extraction. Accordingly, all ground water users would have to pay WCF based on quantum of ground water extraction as per details given below. The rates of WCF for ground water withdrawal for various uses have been arrived at after considering i) cost of implementation of rainwater harvesting/ artificial recharge structures by industries/ infrastructure units/ mines which have been mandated to implement the same as per NOCs granted earlier and ii) charges being levied by various State Governments for use of surface water by industries.

I. Drinking & Domestic use

- (a) All categories exempted from requirement of NOC shall also be exempted from paying WCF.
- (b) All domestic users requiring NOC and other proponents covered under infrastructure projects except Government infrastructure and Government water supply agencies would pay WCF as per rates given below:

| Quantum of Groundwater withdrawal (m ³ /month) | Rate of WCF (Rs. per m ³ /month) |
|---|--|
| 0-25 | Exempted |
| 25-50 | Re 1/- |
| >50 | Rs 2/- |

Government water supply agencies and Government infrastructure projects shall pay WCF @ Rs. 0.50 per m³/month.

II. Packaged drinking water units drawing more than 50 m³ per day /soft drinks/ breweries/distilleries

| S.No. | Category of area ↓ Ground water use → | Rate of Water Conservation Fee (Rs. per m ³ /day) | | | |
|-------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | < 200 m ³ /day | 200 to <1000 m ³ /day | 1000 to <5000 m ³ /day | 5000 m ³ /day and above |
| 1. | Safe | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 2. | Semi critical | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 3. | Critical | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 |
| 4. | Over-exploited | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |

III. Packaged Drinking Water units (drawing less than 50m³ per day) and other industries

| S.No. | Category of area ↓ Ground water use → | Rate of Water Conservation Fee(Rs. per m ³ /day) based on quantum of ground water withdrawal | | | |
|-------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | < 200 m ³ /day | 200 to <1000 m ³ /day | 1000 to <5000 m ³ /day | 5000 m ³ /day and above |
| 1. | Safe | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 2. | Semi critical | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| 3. | Critical | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 4. | Over-exploited | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 20.00 |

IV. Mining/ infrastructure dewatering projects

| S.No. | Category of area ↓ Ground water use → | Rate of Water Conservation Fee (Rs. per m ³ /day) | | | |
|-------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | < 200 m ³ /day | 200 to <1000 m ³ /day | 1000 to <5000 m ³ /day | 5000 m ³ /day and above |
| 1. | Safe | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2. | Semi critical | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
| 3. | Critical | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 4. | Over-exploited | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |

The annual amount of WCF will be calculated by multiplying the rate given against each slab of ground water withdrawal by the quantum and number of days of pumping in a year. Users drawing/ proposing to draw saline ground water shall be given rebate of 25% on the WCF. Package drinking water units located in salinity/ arsenic/ fluoride affected areas shall be given rebate of 50% on the WCF.

2.7 Change in Land/ water Use

The NOC shall become void in case of change in land use of the property/ water use. It will then become mandatory for the owner to apply for a fresh NOC.

The applicant shall have to submit all documents endorsing the change from the competent authorities. Ground water from existing abstraction structures, if any, after change in land use in the area can be abstracted only after obtaining NOC from CGWA. Cases would be processed as per criteria applicable for the changed land use.

2.8 Other Conditions (Applicable for all cases):

- i. Sale of raw/ unprocessed/ untreated ground water for commercial use by agencies not having valid NOC from CGWA is not permitted.
- ii. Non-compliance of conditions mentioned in the NOC may be taken as sufficient reason for cancellation of NOC accorded/ non-renewal of NOC.
- iii. No application shall be entertained without supporting documents as specified in relevant sections.
- iv. Abstraction structure(s) should be located inside the premises of project property.
- v. Self compliance of conditions laid down in the NOC shall be reported by the users online in the web portal of CGWA.
- vi. Processing fee prescribed, if any, from time to time shall be charged for issuance and renewal of NOC.

2.9 Renewal of NOC

- i. NOC shall be renewed periodically, subject to compliance of the conditions mentioned therein.
- ii. The applicant shall apply for renewal of NOC at least 90 days prior to expiry of its validity.
- iii. Application for renewal of NOC shall be accompanied by the compliance report (as per Annexure XI).
- iv. Before granting renewal, inspection of the premises shall be carried out by the Regional Office of CGWB to check compliance of conditions laid down in the NOC.
- v. In case of change in category of the area, renewals would be granted with conditions as laid down for such areas.
- vi. NOC will be renewed for terms specified for various uses as follows:

| Use | Term of renewal |
|--|-----------------|
| Individual Households for drinking & domestic use | 5 Years |
| Infrastructure projects, industries/ mines for drinking & domestic use and Water Supply Agencies | 5 years |
| Industries | 3 years |
| Mines | 2 years |
| All users in critical and over-exploited areas | 2 years |

- vii. If the application for renewal is submitted in time and CGWA is unable to process it within the stipulated time frame, NOC shall be deemed to be extended till the date of renewal of NOC.
- viii. If the proponent fails to apply for renewal within 3 months from the date of expiry of NOC, the proponent shall be required to pay a fine equivalent to five times of Water Conservation Fee for 3 months. Beyond this period, the existing abstraction structure shall be sealed.

2.10 Extension of NOC

If the proponent is unable to construct the well(s) during the validity period of NOC for genuine reasons, the proponent will have to apply for extension of NOC. Application for extension should be supported by documents justifying the reasons for delay. Other conditions for grant of extension of NOC will be the same as that for fresh NOC.

Extension of NOC will be granted for a maximum period of two years. No further extension will be granted after the expiry of the extended period. In that case, the applicant will have to apply afresh for grant of NOC.

3. Processing Fee

A Processing fee of Rs. 10000/- will be applicable for grant of new NOC and Rs. 5000/- shall be applicable for renewal of NOC.

4. Relaxation

Central Ground Water Authority reserves the right to relax or interpret these guidelines in case of any exigency or situation of national strategic importance, for reasons to be recorded in writing.

5. Delegation of powers to monitor compliance of NOC Conditions

Central Ground Water Authority has appointed the District Magistrate/ District Collector / Sub Divisional Magistrates of each Revenue District and Regional Directors of CGWB through Public Notice as Authorized Officers, who have been delegated the power to monitor compliance, check violations and seal illegal wells, launch prosecution against offenders etc. including grievance redressal related to ground water. In cases of violation such as illegal ground water withdrawal, the District Magistrate/ District Collector / Sub Divisional Magistrate, subject to his/her satisfaction, shall ensure discontinuation of the same by the seizure of drilling rig, sealing of tube well/ bore well if so constructed and also disconnection of electricity supply to the energised well. A copy each of the NOC issued by the CGWA in the NOCAP system will be forwarded to the respective District Magistrate/ District Collector for monitoring of compliance. In case of any violation of the directions of Central Ground Water Authority and conditions laid down in the NOC, the Authorised Officers will file cases under sections 15 to 21 of the Environment (Protection) Act, 1986 in appropriate Courts. The Authorised Officers will also file cases for environmental compensation under the NGT Act, 2010 before the appropriate judicial forum.

Note:

1. Guidelines are subject to modification from time to time.
2. In case of any discrepancy between Hindi and English versions of this document including the annexures, the latter shall prevail.

Annexure - I

List of States/ Union Territories where ground water development is being regulated by Central Ground Water Authority

| Sl. No. | States/ UTs |
|---------|---------------------------|
| 1 | Arunachal Pradesh |
| 2 | Assam |
| 3 | Bihar |
| 4 | Chhattisgarh |
| 5 | Gujarat |
| 6 | Haryana |
| 7 | Jharkhand |
| 8 | Madhya Pradesh |
| 9 | Maharashtra |
| 10 | Manipur |
| 11 | Meghalaya |
| 12 | Mizoram |
| 13 | Nagaland |
| 14 | Odisha |
| 15 | Punjab |
| 16 | Rajasthan |
| 17 | Sikkim |
| 18 | Tripura |
| 19 | Uttar Pradesh |
| 20 | Uttarakhand |
| 21 | Andaman & Nicobar Islands |
| 22 | Dadra & Nagar Haveli |
| 23 | Daman & Diu |

Annexure-II**Glossary of Technical Terms used:**

1. **Safe area:** Area categorized as SAFE from the ground water resources point of view, based on the latest ground water resources assessment carried out jointly by CGWB and State ground water organizations. Details available on the web sites of NOCAP and CGWB.
2. **Semi critical area:** Area categorized as SEMI CRITICAL from the ground water resources point of view, based on the latest ground water resources assessment carried out jointly by CGWB and State ground water organizations. Details available on the websites of NOCAP and CGWB.
3. **Critical area:** Area categorized as CRITICAL from the ground water resources point of view, based on the latest ground water resources assessment carried out jointly by CGWB and State ground water organizations. Details available on the websites of NOCAP and CGWB.
4. **Over-exploited area:** Area categorized as OVER-EXPLOITED from the ground water resources point of view, based on the latest ground water resources assessment carried out jointly by CGWB and State ground water organizations. Details available on the websites of NOCAP and CGWB.
5. **Aquifer:** Geological formation capable of storing and transmitting ground water.
6. **Deeper Aquifer:** In areas having multiple aquifer system, the aquifer/s occurring below the uppermost aquifer.
7. **Well:** Any structure used for the extraction of groundwater, including open wells, dug wells, bore wells, dug-cum-bore wells, tube wells, filter points, collector wells, infiltration galleries, recharge wells, or any of their combinations or variations.
8. **Government Agency:** May be Central or State Government body.
9. **Supplier:** Government/ Government approved Water Supply Agency.
10. **Mine:** Area where mining activity is taking place, or area abandoned after mining.
11. **Illegal Ground Water abstraction Structure:** Any energized abstraction structure viz. dug well, tube well, bore well which is being used to withdraw ground water without valid NOC from Central Ground Water Authority.
12. **Rainwater Harvesting:** The technique or system of collection and storage of rainwater, at micro watershed scale, including roof-top harvesting, for future use or for recharge of groundwater.
13. **Mining Project:** Project which involves mining activity either open cast or underground or both.
14. **Ground Water Draft:** Quantum of ground water withdrawal.
15. **Saline Water:** Water having salinity in excess of 2500 μ Siemens/cm at 25⁰C.
16. **Water Table Intersection:** Intersection of the water table on excavation of the overlying material due to mining or other activities.
17. **Drinking & domestic use:** Besides drinking & domestic use of households, this category will cover drinking requirement of industries not requiring water for industrial process; drinking, washing, cleaning use etc. in case of hospitals, hotels, malls & multiplexes, institutions, offices, banquet halls, fire stations, metro stations, railway stations, airports, sea ports, stadia etc.
18. **Recycle/Reuse:** Using treated waste water for various purposes/ putting water to multiple uses.
19. **Government Department:** Either Central or State.
20. **Municipality:** Municipality, a Municipal Corporation or similar body of local urban governance by any other name.
21. **Groundwater:** Water, which exists below the surface in the zone of saturation and can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;
22. **BGL:** Below Ground Level.
23. **BCM :** Billion cubic metres.
24. **Groundwater Abstraction structure:** Structure used to withdraw groundwater like bore well / tube well / dug well / dug cum bore well/tunnel well.

12. Have you applied earlier for NOC for ground water withdrawal from tube well/ bore well / dug well: Yes or No
(If yes please give details thereof with status)
13. Whether rainwater harvesting system has been provided : Yes or No
(a) If yes, mention recharge potential and details of the structure _____
(b) If no, mention proposed RWH plan and the time limit _____
14. Whether waste water treatment plant exists : Yes or No
(a) If yes, the capacity and the proposed uses of the recycled water _____
(b) Commissioned/ functional _____ yes or no
(c) If no, mention proposed action plan and the time limit _____

UNDERTAKING

- A. It is certified that particulars/ information provided above are true to the best of my knowledge and belief.
- B. I agree to install a water meter and will maintain monthly extraction record of water. I further allow regular ground water extraction reading to be taken by the Govt. appointed authority.
- C. I agree to construct observation well (piezometer) and install DWLR.
- D. I agree to undertake ground water quality analysis once in a year during April/May.
- E. I agree to submit ground water abstraction, ground water level and quality data to the concerned Regional Office of CGWB on annual basis.

List of Enclosures:

(Signature of the applicant
with Date and seal)

Annexure IV

Guidelines for installation of Piezometers and monitoring of ground water levels and quality

Piezometer is a bore well/tube well used only for measuring the water level by lowering a tape/sounder or automatic / digital water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum distance of 50 m from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4” to 6”.
- The depth of the piezometer should be the same as that of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one pumping wells are constructed tapping aquifers at different depths, more than one piezometers shall be required to be constructed tapping different aquifers as in the pumping wells.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- The ground water quality has to be monitored once in a year during pre-monsoon (April/ May) period by industries and mines drawing ground water. Samples of ground water should be analyzed from NABL accredited laboratory.
- A permanent display board should be installed at Piezometer/ Tube well site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.

Supreme Court order in Civil Writ Petition 36 of 2009 regarding measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells

**IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION
WRIT PETITION (c) NO. 36 OF 2009**

In Re:

Measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells

Union of India and Ors.

Respondents(s)

ORDER

With this Court issuing requisite guidelines vide order dated 11th February, 2010, subject to slight modifications, nothing survives in the present writ petition.

That modification is as follows:

- (i) The owner of the land/ premises, before taking any steps for constructing bore well/ tube well must inform in writing to the concerned authorities in the area, i.e., District Collector/ District Magistrate/ Sarpanch of the Gram Panchayat/ any other Statutory Authority/ concerned officers of the Department of Ground Water/ Public Health/ Municipal Corporation, as the case may be, about the construction of bore well/ tube well.
- (ii) Registration of all the drilling agencies, namely, Government/ Semi Government, Private etc. should be mandatory with the district administration/ Statutory Authority wherever applicable.
- (iii) Erection of signboard at the time of construction near the well with the following details:-
 - (a) Complete address of the drilling agency at the time of construction/ rehabilitation of well.
 - (b) Complete address of the user agency/ owner of the well.
- (iv) Erection of barbed wire fencing or any other suitable barrier around the well during construction.
- (v) Construction of cement/ concrete platform measuring 0.50x0.50x0.60 meter (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) around the well casing.
- (vi) Capping of well assembly by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts & nuts.
- (vii) In case of pump repair, the tube well should not be left uncovered.
- (viii) Filling of mud pits and channels after completion of works.
- (ix) Filling up abandoned bore wells by clay/ sand/ boulders/ pebbles/ drill cuttings etc. from bottom to ground level.
- (x) On completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling.
- (xi) District Collector should be empowered to verify that the above guidelines are being followed and proper monitoring check about the status of bore holes/ tube wells are being taken care through the concerned state/ Central Government agencies.
- (xii) District/ Block/ Village wise status of bore wells/ tube wells drilled viz. No. of wells in use, No. of abandoned bore wells/ tube wells found open, No. of abandoned bore wells/ tube wells properly filled up to ground level and balance number of abandoned bore wells/ tube wells to be filled up to ground level is to be maintained at District Level.

In rural areas, the monitoring of the above is to be done through Village Sarpanch and the Executive from the Agriculture Department.

In case of urban areas, the monitoring of the above is to be done through Junior Engineer and the Executive from the concerned Department of Ground Water / Public Health/ Municipal Corporation etc.

- (xiii) If a bore well/ tube well is 'Abandoned' at any stage, a certificate from the concerned department of Ground Water/ Public Health/ Municipal Corporation/ Private Contractor etc. must be obtained by the aforesaid agencies that the 'Abandoned' bore well/ tube well is properly filled upto the ground level. Random inspection of the abandoned wells is also to be done by the Executive of the concerned agency/ department. Information on all such data on the above are to be maintained in the District Collector/ Block Development Office of the State.

We are informed that the last paragraph of the earlier order dated 11th February, 2010, concerning publicity has been duly complied with.

Subject to the above, the writ petition is disposed of.

.....CJI.
[S.H. KAPADIA]

.....J.
[K.S. RADHAKRISHNANA]

.....J.
[SWATANTER KUMAR]

New Delhi,
August 6, 2010

Annexure VI

Indicative List of Infrastructure projects

| |
|---------------------------------------|
| Residential apartment |
| Residential township |
| Office building |
| School |
| College |
| University |
| Industrial Area (Drinking use) |
| SEZ (Drinking use) |
| Metro Station |
| Railway Station |
| Bus Depot |
| Airport |
| Seaport |
| Highway infrastructure |
| Fire station |
| Warehouse |
| Business Plaza |
| Malls & Multiplex |
| Hospitals |
| Nursing Homes |
| Water Park/ Theme Park/Amusement Park |
| Resort |
| Hotel/ Restaurant/ Food Plaza |
| Holiday home/Guest house |

| |
|--------------------------------|
| Banquet Hall/ Marriage Gardens |
| IT Complex |
| Logistics & Cargo |
| Clubs |
| Trade Centre |

Annexure VII

Estimation of Water Requirements for drinking and domestic use
(Source: National Building Code 2016, BIS)

A. Residential Buildings:

| Accommodations | Population |
|-----------------------------------|------------|
| 1 Bedroom dwelling unit | 4 |
| 2 Bedroom dwelling unit | 5 |
| 3 Bedroom dwelling unit | 6 |
| 4 Bedroom dwelling unit and above | 7 |

Notes:

- 1) The above figures consider a domestic household including support personnel, wherever applicable.
- 2) For plotted development, the population may be arrived at after due consideration of the expected number and type of domestic household units.
- 3) Dwelling unit under EWS category shall have population requirement of 4 and studio apartment shall have population requirement of 2.

As a general rule the following rates per capita per day may be considered for domestic and non-domestic needs:

- a) For communities with populations up to 20,000:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1) | Water supply through stand post : | 40 lphd (Min) |
| 2) | Water supply through house service: connection | 70 to 100 lphd |

- b) For communities with : 100 to 135 lphd
 population 20,000 to 100,00 together with
 full flushing system
- c) For communities with population: 150 to 200 lphd
 above 100,000 together with
 full flushing system

Note —The value of water supply given as 150 to 200 litre per head per day may be reduced to 135 litre per head per day for houses for Medium Income Group (MIG) and Low Income Groups (LIG) and Economically Weaker Section of Society (EWS), depending upon prevailing conditions and availability of water.

Out of the 150 to 200 litre per head per day, 45 litre per head per day may be taken for flushing requirements and the remaining quantity for other domestic purposes.

B. Water Requirements for Buildings Other than Residences

| Sl. No. | Type of Building | Domestic Litres per head/ day | Flushing Litres per head/ day | Total Consumption Litres per head/ day |
|---------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Factories including canteen where bath rooms are required to be provided | 30 | 15 | 45 |
| 2. | Factories including canteen where no bath rooms are required to be provided | 20 | 10 | 30 |
| 3. | Hospital (excluding laundry and kitchen): a) Number of beds not exceeding 100 | 230 | 110 | 340 |
| | | 300 | 150 | 450 |
| | | 10 | 5 | 15 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| | b) Number of beds exceeding 100 c) Out Patient Department (OPD) | | | |
| 4. | Nurses' homes and medical quarters | 90 | 45 | 135 |
| 5. | Hostels | 90 | 45 | 135 |
| 6. | Hotels (up to 3 star) excluding laundry, kitchen, staff and water bodies | 120 | 60 | 180 |
| 7. | Hotels (4 star and above) excluding laundry, kitchen, staff and water bodies | 260 | 60 | 320 |
| 8. | Offices (including canteen) | 25 | 20 | 45 |
| 9. | Restaurants and food court including water requirement for kitchen: a) Restaurants b) Food Court | 55 per seat | 15 per seat | 70 per seat |
| | | 25 per seat | 10 per seat | 35 per seat |
| 10. | Clubhouse | 25 | 20 | 45 |
| 11. | Stadiums | 4 | 6 | 10 |
| 12. | Cinemas, concert halls and theatres and multiplex | 5 per seat | 10 per seat | 15 per seat |
| 13. | Schools/Educational institutions: a) Without boarding facilities b) With boarding facilities | 25 | 20 | 45 |
| | | 90 | 45 | 135 |

| | | | | |
|-----|---|----|----|----|
| 14. | Shopping and retail (mall) a) Staff | 25 | 20 | 45 |
| | b) Visitors | 5 | 10 | 15 |
| 15. | Traffic Terminal stations a) Airports | 40 | 30 | 70 |
| | b) Railway stations (Junction) with bathing facility | 40 | 30 | 70 |
| | c) Railway stations (Junction) without bathing facility | 30 | 15 | 45 |
| | d) Railway stations (Intermediate) with bathing facility | 25 | 20 | 45 |
| | e) Railway stations (Intermediate) without bathing facility | 15 | 10 | 25 |
| | f) Interstate bus terminals | 25 | 20 | 45 |
| | g) Intrastate Bus Terminals/Metro Stations | 10 | 5 | 15 |

Notes:

1. For calculating water demand for visitors, consumption of 15 litre per head per day may be taken.
2. The water demand includes requirement of patients, attendants, visitors and staff. Additional water demand for kitchen, laundry and clinical water shall be computed as per actual requirements.
3. The number of persons shall be determined by average number of passengers handled by stations, with due considerations given to the staff and vendors who are using these facilities.
4. Consideration should be given for seasonal average peak requirements.
5. The hospitals may be categorised as Category A (25 to 50 beds), Category B (51 to 100 beds), Category C (101 to 300 beds), Category D (301 to 500) and Category E (501 to 750 beds).

Annexure VIII**Outline of Hydrogeological Report for obtaining NOC**

1. Brief about the proposed project giving location details, coordinates, google/ toposheet maps, etc. demarcating the project area.
2. Ground water situation in and around the project area including water level and quality data and maps along with quality issues, if any. In case of mines, ground water conditions in both core and buffer zone should be described.
3. Details of the tube wells/ bore wells proposed to be constructed. This includes the drilling depth, diameter, tentative lithological log, details of pump to be lowered, H.P. of pump, tentative discharge of tube wells/ bore wells, etc. Locations to be marked on the site plan/ map. Location of proposed piezometers.
4. Details of Geophysical studies carried out in and around the project area. Ground water resources computation of the block in which the project falls.
5. Approved Mine plan and detailed dewatering plan in case of mines.
6. Proposed usage of pumped water in case of mining/ infrastructure dewatering projects.
7. Comprehensive assessment of the impact on the ground water regime in and around the project area highlighting the risks and proposed management strategies proposed to overcome any significant environmental issues.
8. Proposed measures for disposal of waste water by industries drawing saline water.
9. Measures to be adopted for water conservation which include recycling, reuse, treatment, etc. This includes the water balance chart being adopted by the firm along with details of water conservation methods to be adopted.
 - Brief write up along with capacity and flow chart of STP/ ETP/ CETP existing/ proposed within the project.
 - Details of water conservation measures to be adopted to reduce/ save the ground water.
 - Total water balance chart showing the usage of water for various processes.
10. Any other details pertaining to the project.

Annexure IX**Annual Water Audits by the industries (Source: CII)**

Water audit is a systematic process of objectively obtaining a water balance by measuring flow of water from the site of water withdrawal or treatment, through the distribution system, and into areas where it is used and finally discharged. Conducting a water audit involves calculating water balance, water use and identifying ways for saving water.

Water audit involves preliminary water survey and detailed water audit. Preliminary water survey is conducted to collect background information regarding plant activities, water consumption and water discharge pattern and water billing, rates and water cess. After the analysis of the secondary data collected from the industry, detailed water audit is conducted, which involves the following steps:

- On-site training and discussion with facility manager and personnel
- Water system analysis
- Quantification of baseline water map
- Monitoring and measurements using pressure and flow meters and various other devices
- Quantification of inefficiencies and leaks
- Quantification of water quality loads and discharges
- Quantification of variability in flows and quality parameters
- Strategies for water treatment and reuse or direct use

A detailed water balance is finally developed. Water quality requirement at various user areas is mapped, which helps in developing 'recycle' and 'reuse' opportunities.

The detailed water audit report contains the following:

- Water consumption and wastewater generation pattern
- Specific water use and conservation
- Complete water balance of the facility
- Water saving opportunities
- Method of implementing the proposals

- Full description and figures
- Investment required

Industries can undertake following measures for water conservation:

- Setting up of norms for water budgeting
- Modernization of industrial process to reduce water consumption
- Recycling water with a re-circulating cooling system
- Ozonation cooling water approach which can result in five fold reduction in blow down when compared to traditional chemical treatment
- Reduction in reuse of de-ionized water by eliminating some plenum flushes, converting from a continuous flow to an intermittent flow system and improving control on the use
- Use of wastewater for gardening
- Proper processing of effluents to adhere to the norms of disposal.

Annexure X


Measures to be adopted to ensure prevention from pollution in the plant premises of polluting industries/ projects

It has been observed that ground water in and around polluting industries like Tannery, Slaughter Houses, Dye, Chemical, Coal washery, other hazardous units, etc., is polluted. In order to prevent further deterioration of ground water quality, it is essential to take all necessary measures for well head protection. All industries/ projects falling under this category are hereby directed to follow the under mentioned procedure both for existing and new category.

1. No tube well/ bore well / dug well should be constructed in the vicinity of the processing unit. Tube well/ bore well should be constructed at the place which is hygienically maintained.
2. Only Mild Steel pipe should be used for assembly/ casing and PVC (Poly Vinyl Chloride) or similar pipes should not be used. The tube well/ bore well having PVC or similar pipes should be abandoned and filled back.
3. Around the tube well/ bore well, RCC (Reinforced Concrete Cement) grouting of 3 meters (length) x 3 meters (width) x 2 meters (depth) must be provided. The pipe of the tube well/ bore well must be raised 1 meter above ground level (1 magl). The tube well/ bore well must be surrounded by RCC wall of 0.5 meter height and 1.5 meter depth to prevent any surface contamination to enter the constructed tube well/ bore well. Plan/Sectional diagram is enclosed for reference (Appendix 1 and 2).
4. The tube well/ bore well must be fitted with NRV (Non Return Valve) in order to ensure that the constructed tube well/ bore well is exclusively used for abstraction of ground water only.
5. At no point of time there should be any injection of any water or fluid into the constructed tube well/ bore well/ Piezometer.
6. The industries/ projects under this category should not implement any recharge measures within the plant premises.
7. Any tube well/ bore well located/ constructed in the vicinity of STP (Sewage Treatment Plant) or ETP (Effluent Treatment Plant) should be abandoned and filled back.
8. The piezometer to be constructed for monitoring purpose should follow the same procedure as that for tube well/ bore well for such industries/ projects.
9. Violations of norms of CPCB / SPCBs related to ground water pollution are likely to result in cancellation of NOC in addition to legal action as per rules.


Appendix 1

Plan/ Sectional diagram showing well head protection



Appendix 2

Plan/ Sectional diagram showing well head protection



Annexure XI

Outline of Compliance Report to be submitted with Application for Renewal of NOC**Compliance report to be submitted along with application for renewal after receipt of NOC from State/ UT****Ground Water Authority GWA should include:**

1. Brief about the project with photographs if any.
2. Location details, coordinates, google/ toposheet maps, etc. demarcating the project area.
3. Compliance of conditions laid down in the NOC.
4. Details of the tube wells/ bore wells constructed as per the NOC. Locations may be marked on the site plan/ map. Photographs of the existing/ constructed tube wells/ bore wells may be attached.

| S.No. | Item | Details of abstraction structures |
|-------|--|-----------------------------------|
| 1 | No. of tube wells/ bore wells/ dug wells | |
| 2 | Total ground water withdrawal (m ³ / day) | |

5. Photographs of digital water meters on the constructed wells by the firm. Monthly data indicating the quantum of ground water withdrawal.

| S.No. | Month | Meter reading on 1 st day of the month | Meter reading on last day of the month | Water consumption during the month (m ³ / month) | Average water consumption per day (m ³ / day) |
|-------|-------|---|--|---|--|
| | | | | | |

Ground water quality data of samples collected during April/ May for the tube wells/ bore wells and piezometers constructed within the project area.

6. Monthly Water level data for the piezometers constructed within the project area.
7. Measures adopted for water conservation including recycle, reuse, treatment, etc. This includes balance chart being adopted by the firm along with details of water conservation methods adopted by the firm including photographs of the same.
 - Brief write up along with capacity and flow chart of STP/ ETP/ CETP existing within the project.
 - Details of water conservation measures adopted to reduce/ save the ground water.
 - Total water balance chart showing the usage of water for various processes.
 - Photographs of the STP/ ETP implemented along with its optimal utilization.
8. Installation of piezometers (with photographs) with details indicating design, depth diameter, lithology, etc. along with monitoring schedule.

| S.No. | Details | PZ-1 | PZ-2 | PZ-3 |
|-------|-------------------------------------|--|------|------|
| 1 | Location | Coordinates with layout plan showing the locations | | |
| 2 | Depth (m) | | | |
| 3 | Monitoring schedule | | | |
| 4 | Photographs of piezometer with DWLR | | | |

9. Copy of NOC from State/ UT Ground Water Authority.
10. Water Audit Report
11. Compliance of recommendations as laid down in the Water Audit report.
12. Any other details pertaining to compliance of NOC.

[F. No. 24011/6/2018-GW]

K. C. NAIK, Chairman